[2021] 1 एस. सी. आर. 289

केरल का उच्च न्यायालय

वी.

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 3974-3975 2020 का)

11 जनवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

सेवा कानून: चयन-रिक्तियां-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्तियां अधिसूचना में विज्ञापित रिक्तियों की संभावित संख्या से अधिक हो सकती हैं।

आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना-उच्च न्यायालय ने माना, शाब्दिक रूप से आर का पढ़ना। 7 (2) केरल न्यायिक सेवा नियम, 1991 (2019 में संशोधित) के अनुसार, राज्यपाल द्वारा चयन सूची के अनुमोदन के एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सूची में उम्मीदवारों में से भरा जाना चाहिए, भले ही यह संभावित रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, जिन्हें अधिसूचित किया गया था, जब तक कि एक वर्ष के भीतर एक नई सूची अधिसूचित नहीं की जाती, निर्णय का परिणाम यह था कि

अगले चयन वर्ष, 2020 के लिए जिम्मेदार रिक्तियों को होना चाहिए

पिछले चयन वर्ष, 2019 चैलेंज आयोजित करने के लिए तैयार की गई चयन सूची से भरा गया: आर की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या। 7 (1) और (2) सार्वजनिक रोजगार के मामलों में संवैधानिक न्यायशास्त्र के शासी सिद्धांतों के अनुरूप नियमों को लाने के लिए मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में Art.142 निर्देशों के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए - आर. 7 (1) जो "भरे जाने की संभावना वाले रिक्तियों की संभावित संख्या को सूचित करता है" स्पष्ट रूप से नहीं है।

इंगित करें कि इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है-उस वाक्यांश के दायरे को मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में जो कल्पना की गई थी, उसके आधार पर सामग्री और अर्थ प्राप्त होना चाहिए-'रिक्तियों की संभावित संख्या मौजूदा रिक्तियों और वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की गणना पर आधारित है -

आर में रिक्तियों की संभावित संख्या। 7 (1) आने वाले वर्ष में आने वाली भविष्य की रिक्तियों को कम करने के लिए

2020 के लिए गंभीर संवैधानिक उल्लंघन रिक्तियां होनी चाहिए उन उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है जो 2020 के लिए भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में विधिवत चुने गए हैं-जिन उम्मीदवारों ने

2019 के चयन में कम स्थान प्राप्त किया है और नियुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वे नहीं कर सकते हैं।

[2021] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल न्यायिक सेवा नियम, 1991 (2019 में संशोधित)-इस तरह के दावे की अनुमति देना एक गंभीर कानूनी और संवैधानिक त्रुटि होगी। आर. 7 (1) और (2)-सुसंगत कानूनों की व्याख्या

निर्माण-न्यायिक सेवा।

सेवा कानून: चयन-चयन की प्रक्रिया

सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियाँ-आयोजित: कला के तहत समानता की गारंटी के अधीन है। 14 और Art.16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता-चयन की प्रक्रिया को इसके अनुरूप होना चाहिए

तर्कसंगतता के सिद्धांत-भारत का संविधान-कला। 14 और 16.

सेवा कानून: चयन-- अपेक्षित रिक्तियों का अर्थ

का-आयोजित: प्रत्याशित रिक्तियां वे रिक्तियां हैं जो पदोन्नति, त्यागपत्र या मृत्यु जैसी सेवा की सामान्य आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने पर यथोचित रूप से विचार किया जा सकता है।

सेवा कानून: चयन-वास्तविक और प्रत्याशित रिक्तियां

-

भविष्य की रिक्तियों से अंतर-आयोजित: जहाँ चयन करने वाला प्राधिकरण एक विशिष्ट संख्या में पदों का विज्ञापन करता है, प्रक्रिया

चयन की संख्या सामान्य रूप से विज्ञापन किए गए पदों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है-नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया को अधिसूचित करते समय,

प्राधिकरण वास्तविक और प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रख सकता है लेकिन भविष्य की रिक्तियों को नहीं-भविष्य की रिक्तियों को जो बाद के भर्ती वर्ष के दौरान उत्पन्न होती हैं, के रूप में नहीं माना जा सकता है

पिछले चयन वर्ष की प्रत्याशित रिक्तियां।

शब्द और वाक्यांश-अभिव्यक्ति संभावित '-का अर्थ।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1 . संवैधानिक सिद्धांत जो पाता है

इस न्यायालय के उदाहरणों में मान्यता यह है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां करने में चयन की प्रक्रिया अनुच्छेद 14 के तहत समानता और अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता की गारंटी के अधीन है। चयन की प्रक्रिया को तर्कसंगतता के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। जहां चयन करने वाला प्राधिकरण एक विशिष्ट संख्या में पदों का विज्ञापन करता है, वहां चयन की प्रक्रिया सामान्य रूप से केरल के उच्च न्यायालय v से अधिक नहीं हो सकती है।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी।

वास्तविक और प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार करें लेकिन भविष्य की रिक्तियों पर नहीं। प्रत्याशित रिक्तियां वे रिक्तियां हैं जो पदोन्नति, त्यागपत्र या मृत्यु जैसी सेवा की सामान्य आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने पर यथोचित रूप से विचार किया जा सकता है। इसलिए, नियुक्ति के लिए पदों की दी गई संख्या को अधिसूचित करने में, सार्वजनिक प्राधिकरण वैध रूप से इन पदों की संख्या को ध्यान में रख सकता है - अधिसूचना की तारीख को मौजूद रिक्तियां और रिक्तियां जिन्हें निम्नलिखित आवश्यकताओं में उचित रूप से स्वीकार किया जा सकता है -

सेवा। जबकि रिक्त होने वाले पदों की सही संख्या

पदोन्नति, त्यागपत्र या मृत्यु जैसी परिस्थितियों के कारण सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है, प्राधिकरण इन आधारों पर रिक्तियों की अपेक्षित संख्या का उचित मूल्यांकन कर सकता है। हालांकि, भविष्य की रिक्तियां वैचारिक रूप से एक अलग वर्ग या श्रेणी में आती हैं। बाद के भर्ती वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को पिछले चयन वर्ष की प्रत्याशित रिक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। भर्ती वर्ष के दायरे से बाहर उत्पन्न होने वाली रिक्तियां प्रत्याशित रिक्तियों के दायरे में नहीं आएंगी। इसके लिए केवल वास्तविक और प्रत्याशित रिक्तियां हैं जो चयन या भर्ती वर्ष के दौरान आती हैं जिन्हें चयन प्रक्रिया शुरू होने पर अधिसूचित किया जा सकता है। ये संवैधानिक सिद्धांत हैं जिनके अधीन वैधानिक आदेश हैं। [पैरा 45] [329-सी-एच]

2.1 . केरल नियम 1991 मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में 4 जनवरी, 2007 को दिए गए फैसले से पहले था। 19 जनवरी 2019 को लागू हुआ संशोधन स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के फैसले के बाद किया गया है। वैधानिक मामले के रूप में प्रयास

व्याख्या, उन निर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए होनी चाहिए जो इस न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान (3) में जारी किए गए थे जो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं।

संविधान और वैधानिक नियम। इस न्यायालय ने उस निर्णय में ध्यान दिया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी न्यायिक सेवा के लिए चयन को नियंत्रित करने वाले नियम लागू थे। समय-सीमा बनाए रखने और वार्षिक चयन में पालन किए जाने वाले तौर-तरीकों के संबंध में निर्देश जारी करते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह स्वतंत्रता [2021] 1 एस. सी. आर. पर प्रभाव नहीं डालेगा।

लोक सेवा आयोग या राज्यों में उच्च न्यायालयों की भूमिका। [पैरा 48] [331-ई-एच]

2.2 . मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में फैसले में इस अदालत का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इसे जल्द से जल्द भरा जाए। राज्य न्यायिक सेवाओं में न्यायिक रिक्तियों की संख्या। यह इस परिप्रेक्षय में था कि न्यायालय ने इसके लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की थी

अनुपालन। साथ ही, यह स्पष्ट है कि निर्णय में पात्रता जैसे अन्य आवश्यक पहलुओं का प्रावधान नहीं था। परीक्षा आयोजित करने के लिए तौर-तरीके और राज्य न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियां करने में आरक्षण लागू करना। इसलिए, न्यायिक सेवाओं में चयन और नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय द्वारा कवर नहीं किया गया है, जिसके लिए राज्य न्यायिक सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों का अर्थ लगाने पर पीछे हटना पड़ता है।

सवाल करते हैं। लेकिन मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय से उभरने वाली एक विशिष्ट विशेषता पर समान रूप से जोर दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय में, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य न्यायिक सेवाओं के लिए चयन की प्रक्रिया वार्षिक आधार पर होनी चाहिए। अदालत ने हालांकि खुद के लिए सुरक्षित रखा किसी दी गई स्थिति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को समय अनुसूची के अनुपालन से छूट देने या समय बढ़ाने की शक्ति जहां विशिष्ट स्थानीय स्थितियों के लिए ऐसी छूट या विस्तार देने की आवश्यकता होती है। मलिक में निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू

मजहर सुल्तान (3) का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया हर साल रिक्तियों की अधिसूचना के साथ शुरू की जाती है और अंत में

अभिव्यक्ति 'संभावित' का अर्थ है जो प्रत्याशित, अपेक्षित और संभावित है। इस प्रकार अभिव्यक्ति मौजूदा रिक्तियों और उन रिक्तियों को समझती है जो सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु या इस्तीफे के कारण प्रत्याशित हैं और जिनमें भर्ती के दौरान अद्भुत घटनाओं को शामिल करने के लिए कुछ रिक्तियों को जोड़ा जा सकता है। प्रक्रिया। राज्य न्यायिक सेवा द्वारा नियमों का अर्थ लगाने में,

विशेष रूप से संभावित रिक्तियों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में, नियमों को उद्देश्य, केरल का उच्च न्यायालय v के साथ सुसंगत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी।

मलिक मजहर सुल्तान (3) में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत। यह अभ्यास किसी अन्य कारण से आवश्यक हो जाता है। में वर्तमान मामले में, नियम 7 (1) "भरे जाने की संभावना वाली रिक्तियों की संभावित संख्या को अधिसूचित करने" को संदर्भित करता है। हालांकि, नियम 7 (1) स्पष्ट रूप से यह इंगित नहीं करता है कि इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। इसका दायरा

उस वाक्यांश की सामग्री और अर्थ मलिक मजहर सुल्तान (3) में जो कल्पना की गई थी, उसके आधार पर प्राप्त होना चाहिए। [पैरा 48] [332-ई-एच; 333-ए-डी] 2.3 . महत्वपूर्ण रूप से, मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय द्वारा विचार की गई पूरी प्रक्रिया एक वार्षिक प्रक्रिया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन में जिन रिक्तियों को अधिसूचित किया जाना है, वे उस भर्ती वर्ष से संबंधित हैं जिसके लिए चयन किया जाता है। मलिक मजहर सुल्तान (3) में भविष्य की रिक्तियों को शामिल नहीं किया गया है, यानी वे जो झूठ बोलते हैं।

उस भर्ती वर्ष से आगे जिसके लिए चयन किया जाना है। [पैरा 48] [334-एफ-जी]

रिक्तियों की संभावित संख्या नियम 7 (1) के दायरे में आती है। इसलिए, रिक्तियों की संभावित संख्या निर्धारित करने में, विशेष उच्च न्यायालय को ध्यान में रखना होगा: (i) रिक्तियों की मौजूदा संख्या; (ii) सेवानिवृत्ति और पदोन्नति, मृत्यु और इस्तीफे सहित सेवा की अन्य आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने वाले वर्ष के दौरान प्रत्याशित रिक्तियां; और (iii) कुछ उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाना है। नियम 7 (1) में रिक्तियों की संभावित संख्या का दायरा इस मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वास्तव में, अपीलार्थी ने ठीक यही किया था। [पैरा 49] [334-जी-एच; 335-ए-सी] [2021] 1 एस. सी. आर.

4.1 . उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई व्याख्या की रेखा को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। [पैरा

50] [355 - ई]

4.2 . सबसे पहले, व्याख्या की इस पंक्ति में नियुक्ति प्राधिकरण को उन रिक्तियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो उत्पन्न हुई हैं भर्ती वर्ष 2019 के लिए चयन के अनुसरण में नियुक्तियां करने में बाद का भर्ती वर्ष 2020। यह, प्रथम सिद्धांत के रूप में, अस्वीकार्य है। नियम 7 (1) के संदर्भ में संभावित रिक्तियों का निर्धारण एक निर्धारण है जो पाठ्यक्रम के दौरान अनुमानित रिक्तियों पर आधारित है।

उस भर्ती वर्ष में, इस मामले में 2019। इस अभ्यास में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अधिदेश के अनुरूप, चयन के बाद के वर्ष की भविष्य की रिक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। न ही नियम 7 (1) संभावित रिक्तियों की गणना के भीतर भविष्य के वर्ष की रिक्तियों को लाता है। [पैरा 51] [335-ई-जी]

4.3 . दूसरा, इस तरह की व्याख्या को अपनाने से गंभीर विसंगतियां पैदा होंगी, जिसके परिणामस्वरूप, पदों को होना चाहिए

मौजूदा और प्रत्याशित के विरुद्ध भर्ती के लिए आवंटित

2020 के लिए रिक्तियों को भर्ती वर्ष 2019 में आवंटित करके उन्हें कम करना होगा। इसके लिए अपीलार्थी को उन रिक्तियों के दायरे से क्रमिक रूप से हटाने की आवश्यकता होगी जो बाद के भर्ती वर्ष के लिए अधिसूचित की जाती हैं, वे रिक्तियां जो नियम 7 (2) की अनुमानित व्याख्या के आधार पर पिछले वर्ष के लिए आवंटित की जाती हैं। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होगा और बाद के वर्षों के लिए भर्ती में अनिश्चितता लाएगा। यह संभावित रिक्तियों की संख्या को कम करके और उन्हें पिछले भर्ती चक्र में जोड़कर 2020 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता के मामले में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। [पैरा 52] [335-एच; 336-सी-डी] 4.4 एक तीसरी विसंगति है जो ऐसी व्याख्या से उत्पन्न होती है। यदि नियम 7 (2) के निर्धारण के साथ इसे पढ़े बिना इसे प्रमुखता से महत्व दिया जाना था

नियम 7 (1) के तहत रिक्तियों की संभावित संख्या, मुद्दा यह है कि इस तिथि के बाद कब तक रिक्तियां पैदा होंगी

राज्यपाल द्वारा अनुमोदन को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

द हाई कोर्ट ऑफ केराला v. रेशमा ए. और अन्य ईटीसी।

2020 के दौरान जो रिक्तियां पैदा हुई हैं, उन्हें 2019 के लिए आवंटित किया जाएगा। यह तभी किया जा सकता है जब 2020 के लिए रिक्तियां हों। 2019 के दौरान उत्पन्न होने की उम्मीद थी, जो कि मामला नहीं है। [पैरा 53] [336-ई-एफ; 337-डी-ई]

4.5 . उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में चौथी कठिनाई संवैधानिक सिद्धांतों पर टिकी हुई है। यह एक तयशुदा है

सेवा न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि जब रिक्तियों को सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो नियुक्तियों की संख्या उन रिक्तियों से अधिक नहीं हो सकती है जिन्हें अधिसूचित किया जाता है। रिक्तियों की संभावित संख्या मौजूदा रिक्तियों और वर्ष के दौरान होने वाली अनुमानित रिक्तियों की गणना पर आधारित है। इसमें शामिल होने की संभावना भी है कुछ उम्मीदवार जो प्रतीक्षा सूची में हैं। हालांकि, 'संभावित' अभिव्यक्ति की व्याख्या अस्पष्ट के रूप में नहीं की जा सकती है।

उन रिक्तियों का मूल्यांकन जो कारण से स्थापित नहीं हैं और जिन्हें वैधानिक रूप से निर्धारित कारण के बिना बदला जा सकता है। नियम 7 (1) में रिक्तियों की संभावित संख्या की अवधारणा की अनुमति देने के लिए

आने वाले वर्ष में आने वाली भविष्य की रिक्तियों के कारण एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन होगा। भर्ती के बाद के वर्ष के दौरान भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने वाले उम्मीदवारों को एक वास्तविक संवैधानिक शिकायत होगी कि जो रिक्तियां बाद के वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई हैं, जिसके दौरान वे पात्र हो गए हैं, उन्हें पहले के भर्ती वर्ष के लिए आवंटित किया गया है। यदि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाता है, तो यह प्रक्रिया की निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसके बाद इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि 2020 के दौरान जो रिक्तियां पैदा हुई हैं, उन्हें वर्ष 2019 के लिए चयन सूची में उम्मीदवारों के लिए आवंटित किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 16 का गंभीर उल्लंघन होगी और इससे बचा जाना चाहिए। ए.

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में संवैधानिक न्यायशास्त्र के शासी सिद्धांतों के अनुसार नियमों को लाने के लिए नियम 7 (1) और (2) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो मलिक मजहर सुल्तान (3) में अनुच्छेद 142 के निर्देशों के अनुरूप हो।

[पैरा 54] [337-ई; 338-बी, ई-जी; 339-ए-सी]

4.6 . पाँचवाँ, एक और गंभीर पहलू है जो उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होता है। [2021] 1 एस. सी. आर. द्वारा सुझाए गए समाधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है और भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की प्रत्याशा में उन रिक्तियों के खिलाफ भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है जो उत्पन्न नहीं हुई हैं। उच्च न्यायालय ने यह देखा गया कि जब नियुक्तियां जून 2020 में की गई थीं, तो उन्हें नियमित रूप से केवल उन रिक्तियों के लिए किया जा सकता था जो वास्तव में उस तारीख तक उत्पन्न हुई थीं। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उसके प्रशासनिक पक्ष पर, आगामी वर्ष में होने वाली रिक्तियों के लिए नई भर्तियों की नियुक्ति से प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

खतरे में प्रक्रिया। हालाँकि, इसने सुझाव दिया कि सरकार के परामर्श से एक प्रक्रिया तैयार की जा सकती है जिसके द्वारा

उन रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है जो अभी भी उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो भविष्य में उत्पन्न होंगी। उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में संभावित रिक्तियों के लिए नियुक्त प्रशिक्षुओं को वजीफा दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा जो समाधान सुझाया गया है वह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। न्यायिक सेवा में नियुक्त होने पर व्यक्तियों को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और इसकी दो श्रेणियां नहीं हो सकतीं -

प्रशिक्षु, जिनमें से एक को वजीफा मिलता है क्योंकि जिन रिक्तियों के लिए उनका चयन किया गया है, वे अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसके अलावा, एक गंभीर असंतोष होगा यदि भविष्य में रिक्तियों की उम्मीद में प्रशिक्षण पर भेजे गए सभी उम्मीदवारों को नहीं भेजा जा सकता है।

सेवा में समायोजित। हमने उपरोक्त पहलू पर जोर दिया है,

इस सरल कारण से कि उच्च न्यायालय उन गंभीर समस्याओं से अवगत था जिनके परिणामस्वरूप प्रशासन का गठन होगा यदि निर्णय मैदान को धारण करने के लिए थे। उच्च न्यायालय द्वारा यह सुझाव कि प्रशासन को प्रशिक्षण पर भेजना चाहिए, जिन उम्मीदवारों के लिए सेवा में कोई रिक्तियां नहीं हैं, कानून के विपरीत है। यदि प्रशिक्षण पर भेजे गए कुछ उम्मीदवारों को रिक्तियों की कमी के कारण भविष्य की तारीख में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यह गंभीर असंतोष पैदा करेगा और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के लिए अनुचित होगा। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ेगा, जिसके लिए उसे उन व्यक्तियों को वजीफा देने की आवश्यकता होगी, जिन्हें अभी तक न्यायिक सेवा में भर्ती नहीं किया गया है।

उन्हें समायोजित करने के लिए रिक्तियां। [पैरा 55] [339-सी; 340-डी-एच; 341-ए-बी] 5. उत्तरदाताओं को 2019 के चयन के लिए नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है। वे किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, या यहाँ तक कि

इक्विटी, इस आधार पर कि अगले वर्ष के लिए चयन में देरी हो सकती है। 2020 के लिए रिक्तियों को जी. एच. कोर्ट ऑफ केराला v को आवंटित किया जाना चाहिए।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी।आई. डी. एट्स जिनका 2020 के लिए भर्ती के अनुसरण में विधिवत चयन किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने 2019 में कम रैंक प्राप्त की है और नियुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वे नहीं कर सकते हैं।

इस तरह के दावे की अनुमति देना एक गंभीर कानूनी होगा और शीर्षक संबंधी त्रुटि। [पैरा 58] [343-ए-सी]

मलिक मजहर सुल्तान (3) v. उत्तर प्रदेश पब्लिक

दिल्ली उच्च न्यायालय (2010) 2 एससीसी 637: [2010] 2 एस. सी. आर. 239; प्रेम सिंह और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य बिजली

बोर्ड और अन्य (1996) 4 एससीसी 319: [1996] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 401; बेदंगा तालुका बनाम। सैफुदाउल्ला खान और

ओआरएस (2011) 12 एससीसी 85 [2011] 11 एससीआर 635; हिरांद्रा

कुमार बनाम. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 254; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम।

भारत संघ (2002) 4 एससीसी 247: [2002] 2 एससीआर 712;

सुभाष चंदर शर्मा बनाम। हरियाणा राज्य (1984)

1 एसएलआर 165 (पी एंड एच); अशोक कुमार यादव बनाम। की स्थिति

हरियाणा (1985) 5 एससीसी 417: [1985] पूरक (1) एस. सी. आर.

657 ; ए. वी. भोगेश्वरडू बनाम ए. पी. लोक सेवा

आयोग जे. टी. (1989) 4 एससी 130: (1990) 1 एलएलएन 6:

हरियाणाः 1993 पूरक (4) एस. सी. सी. 377: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 249 : (1994) 26 एटीसी 325; बिहार राज्य बनाम। सचिवालय

अस्स्टेट। सफल परीक्षक संघ 1986 (1994) 1 एस. सी. सी.

126 : [1993] 3 पूरक। एस. सी. आर. 134; गुजरात राज्य डी.

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन। वी. गुजरात राज्यः 1994

पूरक (2) एस. सी. सी. 591: [1994] 3 एस. सी. आर. 983; अनुराग कुमार

सिंह बनाम। उत्तराखंड राज्य (2016) 9 एस. सी. सी. 426; राहुल

दत्ता बनाम। बिहार राज्य (2019) 5 एससीसी 158: [2019]

3 एस. सी. आर. 1060; वीरेंदर एस. हुड्डा बनाम। हरियाणा राज्य (1999) 3 एस. सी. सी. 696 और विरेन्द्र सिंह हुड्डा बनाम। राज्य

हरियाणा [2004] 5 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 720 संदर्भित है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

3) 17 एस. सी. सी. 703

पैरा 5

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को संदर्भित किया गया

2 एससीआर 239

[2010]

संदर्भित किया गया है

[1996] 2 पूरक। एससीआर 401

संदर्भित किया गया है

[2011] 11 एससीआर 635

संदर्भित किया गया है

(1999) 3 एस. सी. सी. 696

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

[1985] पूरक (1) एस. सी. आर. 657

संदर्भित किया गया है

1993 पूरक (4) एस. सी. सी. 377

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 पूरक। एससीआर 134

संदर्भित किया गया है

[1994] 3 एससीआर 983

संदर्भित किया गया है

(2016) 9 एस. सी. सी. 426

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 1060

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एससीआर 720

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल एपी

3975 2020 से।

26.08.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 और 2020 के डब्ल्यू. ए. सं. 994 में एर्नाकुलम में केरल सरकार द्वारा।

वी. गिरि, परमजीत सिंह पटवालिया, वी. चिताम्बरे

जी. नारायणन नायर, सुश्री अंकिता गुप्ता, कार्तिक एस. डी., जो बीना माधवन, मेसर्स। वकील एस निट एंड कंपनी, मोहम्मद सुश्री अंजू। के. वर्की, गोविंद वेणुगोपाल, अधिवक्ता। ए के लिए

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

ए. पृष्ठभूमि

पक्षों की दलीलें

बी.

सी.

केरल नियम, 1991 केरल का उच्च न्यायालय बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मलिक मजहर सुल्तान (3)

डी.

न्यायाधीशों की समिति: केरल उच्च न्यायालय

ई.

केरल नियम, 1991 के नियम 7 (2) को मलिक के साथ सुसंगत बनाना।

एफ.

मजहर सुल्तान (3)

केरल नियम, 1991 के नियम 7 (2) के साथ सामंजस्य

जी.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16

तथ्यात्मक विश्लेषण और निष्कर्ष

एच. ए.

पृष्ठभूमि

1. 26 अगस्त 2020 को केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का एक निर्णय अपील का विषय बनाता है। उच्च न्यायालय ने अपने एकल न्यायाधीश 2 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि राज्य की न्यायिक सेवा में मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्तियां आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में विज्ञापित रिक्तियों की संभावित संख्या से अधिक हो सकती हैं। उच्च न्यायालय ने केरल न्यायिक सेवा नियम, 1991 3 (2019 में संशोधित) के नियम 7 (2) को शाब्दिक रूप से पढ़ने पर कहा कि राज्यपाल द्वारा चयन सूची के अनुमोदन के एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को इनमें से किसी एक से भरा जाना चाहिए।

सूची में उम्मीदवार भले ही यह अधिसूचित की गई संभावित रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, जब तक कि एक वर्ष के भीतर एक नई सूची अधिसूचित नहीं की जाती है। निर्णय का परिणाम यह है कि रिक्तियों के कारण

अगले चयन वर्ष-2020-को पिछले चयन वर्ष, 2019 के लिए तैयार की गई चयन सूची से भरना होगा।

2. उच्च न्यायालय द्वारा 1 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की गई थी।

केरल न्यायिक सेवा में मजिस्ट्रेट, नियमित रिक्तियों के खिलाफ और 'कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं (एन. सी. ए.)' नामक एक कैरी-फॉरवर्ड के खिलाफ। सैंतीस "संभावित" रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति, सीधी भर्ती और स्थानांतरण द्वारा भर्ती के लिए थी। एनसीए श्रेणी के तहत आठ रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है: 1 रिट अपील 994/2020 और 998/2020 (केरल उच्च न्यायालय) 2 रिट याचिका (सिविल) 10007/2020 और 10361/2020 (केरल उच्च न्यायालय) 3 "केरल नियम 1991"

अपीलार्थी "[2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल न्यायिक सेवा परीक्षा-2019

मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट (वेतनमान) पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 27700 - 44770) केरल न्यायिक सेवा में सीए और नियमित रिक्तियों के खिलाफ जैसा कि नीचे विस्तृत है। ऑनलाइन आवेदन 3.02.2019 से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन का कोई अन्य साधन/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एनसीए रिक्तियां

1. भर्ती संख्याः 3/2019 (4 * तैयार की गई चयन सूची से संबंधित पुनः अधिसूचना

अधिसूचना सं। आर. ई. सी. 4-97821/2011 दिनांक 31-01-2012) रिक्तियों की संख्याः अनुसूचित जनजाति-1

भर्ती की विधिः प्रत्यक्ष भर्ती (अकेले केरल राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं)।

2. भर्ती संख्याः 4/2019 (2 * तैयार की गई चयन सूची से संबंधित पुनः अधिसूचना

अधिसूचना सं। आर. ई. सी. 4-5384/2013 दिनांक 21.03.2013) रिक्तियों की संख्याः

एस. आई. यू. सी.-1 में शामिल नादर

एससी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया-1

हिंदू नादर-1

भर्ती की विधिः प्रत्यक्ष भर्ती (अकेले केरल राज्य में उपरोक्त अधिसूचित समुदायों की गैर-रचनात्मक परत से संबंधित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं)।

3. भर्ती संख्याः 5/2019 (2 डी-तैयार की गई चयन सूची से संबंधित पुनः अधिसूचना

अधिसूचना सं। आर. ई. सी. 4-10945/2016 दिनांक 18.02.2016)

रिक्तियों की संख्याः लैटिन कैथोलिक/एंग्लो इंडियंस-1

भर्ती की विधिः प्रत्यक्ष भर्ती (अकेले केरल राज्य में उपरोक्त अधिसूचित समुदाय की गैर-मलाईदार परत से संबंधित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं)।

4. भर्ती संख्याः 6/2019 (1 " तैयार की गई चयन सूची से संबंधित पुनः अधिसूचना

अधिसूचना सं। आर. ई. सी. 4-75831/2017 दिनांक 07.11.2017)

रिक्तियों की संख्याः ओ. बी. सी. (नियम 17 (1), भाग II, के. एस. और एस. एस. आर. में 8 वीं मद)-1

लैटिन कैथोलिक/एंग्लो इंडियंस-2

भर्ती की विधिः प्रत्यक्ष भर्ती (अकेले केरल राज्य में उपरोक्त अधिसूचित समुदायों की गैर-मलाईदार परत से संबंधित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं)। केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के भाग II का नियम 15 (ए) उपरोक्त एन. सी. ए. भर्तियों के लिए लागू होगा।

नियमित रिक्तियां

5. भर्ती संख्याः 7/2019

रिक्तियों की संख्याः 37 (संभावित) (विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित एक रिक्ति शामिल है जिसे पात्र उम्मीदवार की कमी के कारण पिछले वर्ष खाली रखा गया था और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की धारा 34 (2) के अनुसार इस वर्ष तक आगे बढ़ाया गया था।

विकलांग अधिनियम, 2016)

भर्ती की विधिः (i) प्रत्यक्ष भर्ती; और (ii) स्थानांतरण द्वारा भर्ती।

केरल का उच्च न्यायालय बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

3. एक प्रारंभिक परीक्षा 26 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी और

परिणाम 19 जुलाई 2019 को घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा 31 अगस्त 2019 और 1 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी और परिणाम 21 दिसंबर 2019 को घोषित किया गया था। साक्षात्कार 8 से 25 जनवरी 2020 के बीच आयोजित किए गए थे और योग्यता सूची 20 फरवरी 2020 को प्रकाशित की गई थी। प्रतियोगी परीक्षा के बाद, चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई और 20 फरवरी 2020 को प्रकाशित की गई। अपीलार्थी द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया था और केरल सरकार द्वारा 07 मई 2020 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना के माध्यम से, 32 उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2019 में नियमित रिक्तियों और 5 उम्मीदवारों को एन. सी. ए. के खिलाफ नियुक्त किया गया था। सभी चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दो याचिकाएं दायर की गई थीं।

मजिस्ट्रेट, जो आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में निर्दिष्ट नहीं थे। मूल याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 14 जनवरी 2019 से संशोधित नियम 7 (2) के अनुसार, सभी रिक्तियां जो अनुमोदन के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए उत्पन्न होती हैं। राज्यपाल द्वारा योग्यता सूची में से, अनुमोदित योग्यता सूची से भरी जानी है। निवेदन यह था कि मुन्सिफ-मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियाँ अनिवार्य हैं

बत्तीस रिक्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए और अन्य सभी रिक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए जो 6 मई 2021 तक उत्पन्न हुई हैं या जो उत्पन्न हो सकती हैं, यानी 7 मई की योग्यता सूची की तारीख से एक साल के भीतर।

2020 सूचित किया गया था।

5. इन प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, केरल उच्च न्यायालय, यहाँ अपीलार्थी ने तर्क दिया कि राज्य की न्यायिक सेवा में रिक्तियों पर नियुक्ति केरल नियम, 1991 द्वारा और मलिक मजहर सुल्तान (3) v में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों और समयसीमा द्वारा विनियमित की जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग "(" मलिक मजहर सुल्तान (3) ")। मलिक मजहर सुल्तान (3) पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना केवल उन रिक्तियों के लिए जारी की जाती है जो उस वर्ष 31 दिसंबर तक उपलब्ध हैं जिसमें अधिसूचना जारी की जाती है और केवल

इन अधिसूचित रिक्तियों को भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जा सकता है

वर्ष दिया गया।

6. याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, दिनांकित एक नई अधिसूचना

30 जून 2020 अपीलार्थी द्वारा मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के 47 संभावित नियमित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए जारी किया गया था। अधिसूचित नियमित रिक्तियों की संख्या से 'संभावित' शब्द को हटाते हुए 30 जुलाई 2020 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था।

7. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 9 जुलाई 2020 के एक निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 7 (2) में प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा योग्यता सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर मौजूदा और उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को चयन सूची से भरा जाना है, जब तक कि एक वर्ष के अंत से पहले एक नई सूची लागू नहीं हो जाती है। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि एक विशेष नियम किसी पद के लिए उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करता है, इसलिए अपीलार्थी-अपने प्रशासनिक मामलों पर केरल उच्च न्यायालय के रूप में

पक्ष, इस आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं कर सका कि भर्ती मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं आएगी। एकल न्यायाधीश की दृष्टि में अतिरिक्त रिक्तियों पर नियुक्ति से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि यदि केरल नियम, 1991 के अनुसार नियुक्तियां इस न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, तो अपीलार्थी को इस न्यायालय के समक्ष अनुमति लेनी होगी या स्पष्टीकरण देना होगा। अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अधिसूचना में निर्दिष्ट सैंतीस से अधिक रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता है, एकल न्यायाधीश ने कहा कि अधिसूचना में केवल संभावित रिक्तियों की संख्या निर्दिष्ट की गई थी। रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई और अपीलार्थी को 20 फरवरी 2020 की योग्यता सूची से उम्मीदवारों की एक अतिरिक्त सूची राज्यपाल को मंजूरी और मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के पदों पर नियुक्ति के लिए भेजने का निर्देश दिया गया।

8. एकल न्यायाधीश के इस निर्णय और आदेश की पुष्टि डिवीजन बेंच ने अपील में की थी। डिवीजन बेंच ने कहा कि इसमें संशोधन किया गया है

नियम 7 (2) में प्रावधान है कि अनुमोदित सूची अधिसूचित रिक्तियों और राज्यपाल द्वारा अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर या एक नई सूची लागू होने तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए मान्य है। नतीजतन, 7 मई 2020 को अनुमोदित योग्यता सूची रिक्तियों के लिए 6 मई 2021 तक या नई सूची लागू होने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि केरल नियम, 1991 के संचालन के लिए

चयन और नियुक्ति मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्धारित दिशानिर्देशों के विपरीत नहीं थी क्योंकि इस न्यायालय ने देखा था कि केरल का उच्च न्यायालय बनाम।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार चयन किया जाना था। डिवीजन बेंच के अनुसार, मलिक मजहर सुल्तान (3) का इरादा वैधानिक नियमों में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि केवल न्यायिक रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना था। डिवीजन बेंच ने माना कि 'संभावित' रिक्तियां शब्द आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना में संकेत दिया गया था कि वास्तविक और विज्ञापित रिक्तियों और रिक्तियों के बीच अंतर की संभावना थी

विज्ञापित रिक्तियों को कम या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, अधिसूचित रिक्तियों से अधिक रिक्तियों को भरा जा सकता है।

9. इस अपील में दो मुद्दे निर्णय के लिए आते हैं:

क्या केरल नियम, 1991 का नियम 7 इसके विपरीत है

((i)

मलिक मजहर सुल्तान (3) में इस न्यायालय के निर्देश;

और

((ख)

क्या उत्तरदाताओं और समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों ने

जिन्हें राज्यपाल द्वारा अनुमोदित योग्यता सूची में स्थान मिलता है, उन्हें योग्यता सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकता है।

अधिसूचना में निर्दिष्ट।

B. पक्षों की प्रस्तुतियाँ

10. श्री वी. गिरि, की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

आई।

केरल नियम, 1991 के नियम 7 (2), जैसा कि 2019 में संशोधित किया गया था, यदि इसकी मंजूरी के एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली सभी रिक्तियों को भरने के लिए व्याख्या की जाती है, तो निम्नलिखित निर्देशों के साथ असंगत होगा:

मलिक मजहर सुल्तान (3) में यह अदालत;

उत्तरदाताओं को रिक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है

ii.

राज्यपाल द्वारा योग्यता सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अधिसूचित रिक्तियों से अधिक;

मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रिक्त पदों के लिए नियुक्ति पत्र प्रत्येक भर्ती वर्ष के 1 दिसंबर को जारी किए जाने हैं और इसमें शामिल होने की अंतिम तिथि अगले वर्ष की 2 जनवरी होगी। इस प्रकार, प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए 1 दिसंबर को रिक्तियों पर विचार किया जाना है ताकि नियुक्त व्यक्ति अगले वर्ष 2 जनवरी को शामिल हो सकें; [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

iv इस न्यायालय के दिनांक 4 के आदेश में निहित निर्देश

मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में जनवरी 2007 में, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि पदोन्नति, मृत्यु या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए 10 प्रतिशत पदों को अधिसूचित किया जाएगा, इस न्यायालय द्वारा 24 मार्च 2009 के बाद के आदेश में निरस्त कर दिया गया था। बाद के आदेश में, इस न्यायालय ने प्रावधान किया कि उच्च न्यायालय अगले एक वर्ष के लिए रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों की मौजूदा संख्या को अधिसूचित करेंगे। इस प्रकार, किसी भी चयन वर्ष के लिए अधिसूचित रिक्तियां उस वर्ष की 15 जनवरी को मौजूद रिक्तियां और प्रत्याशित रिक्तियां हैं।

उस वर्ष के लिए रिक्तियां और कुछ रिक्तियां जो मृत्यु, त्यागपत्र, पदोन्नति या अन्यथा के कारण उत्पन्न हो सकती हैं;
वर्ष 2020 के लिए भर्ती शुरू हुई और इसमें वर्ष की शुरुआत में मौजूद रिक्तियां शामिल थीं और

31 दिसंबर 2020 तक प्रत्याशित रिक्तियां;

'संभावित' शब्द जोड़ या कटौती को दर्शाता है

vi.

मृत्यु, सेवानिवृत्ति, एक उच्च पद पर एक पदधारी की नियुक्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों के कारण किया गया, अन्य कारणों के साथ, जिसके लिए अतिरिक्त श्रेणी ने

मलिक मजहर सुल्तान (3) में प्रदान किया गया है;
नियम 7 (2) की शाब्दिक व्याख्या उल्लंघन का कारण बनेगी।

vii

अनुच्छेद 14 और 16 की नियुक्ति अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की जाएगी जो राखी रे बनाम में इस न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है। दिल्ली उच्च न्यायालय [(2010) 2 एस. सी. सी. 637]; प्रेम सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य [(1996) 4 एस. सी. सी. 319] और बेदंगा तालुका बनाम। सैफुदाउल्ला खान और

ओआरएस [(2011) 12 एससीसी 85]; और

केरल नियम, 1991 की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या

viii

मलिक मजहर सुल्तान में इस अदालत के निर्देशों के साथ (3) इसका तात्पर्य यह होगा कि भर्ती वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को केवल उसी वर्ष योग्यता सूची द्वारा भरा जाना चाहिए और

वार्षिक चयन किया जाना चाहिए।

11. इन दलीलों का विरोध करते हुए श्री पी. एस. पटवालिया और श्री वी.

एमबारेश, विद्वान वरिष्ठ वकील और सुश्री बीना माधवन ने उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होकर तर्क दिया कि:

हमारा केराला बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी।

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

7 मई 2020 को नियुक्तियां जारी होने के बाद लगभग पचास रिक्तियां हैं और सैंतालीस रिक्तियां हैं।

30 जून 2020 की अधिसूचना में विज्ञापन दिया गया है वर्ष 2020 के लिए नियुक्तियाँ;

'संभावित' शब्द को 30 जुलाई 2020 को जारी शुद्धिपत्र द्वारा 2020 की अधिसूचना से जानबूझकर हटा दिया गया है क्योंकि 'संभावित' शब्द का तात्पर्य है कि

रिक्तियां अनुमानित हैं और निश्चित नहीं हैं; न्यायिक पदों पर चयन और नियुक्ति होनी चाहिए

मलिक मजहर सुल्तान में आयोजित मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के पालन में सख्ती से संचालित; राखी रे; और

हिरंद्र कुमार बनाम। उच्च न्यायालय में इलाहाबाद (2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 254);

केरल नियम, 1991 के नियम 7 (2) में संशोधन मलिक मजहर सुल्तान (3) के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था और विवादित फैसले में इस पर चर्चा की गई है।

नियम 7 (2) में संशोधन यह अनिवार्य करता है कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित योग्यता सूची एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहती है, जिसके दौरान सभी रिक्तियां जो उत्पन्न होती हैं, वे हैं - योग्यता सूची से भरा जाए, या जब तक कोई नई सूची लागू न हो जाए, जो भी पहले हो। यह संशोधन पिछले नियम से एक महत्वपूर्ण विचलन है जिसमें केवल यह अनिवार्य किया गया था कि सूची तीन साल के लिए या जब तक एक नई सूची तैयार नहीं की जाती है और रिक्तियों को भरने पर विचार नहीं किया जाता है

अनुमोदित सूची के बाद उत्पन्न होना;

योग्यता सूची अधिसूचित होने के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए मौजूदा योग्यता सूची से नियुक्तियां की जा सकती हैं, जैसे - विरेन्द्र एस में आयोजित

हा वी। हरियाणा राज्य ';

केरल नियम, 1991 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी गई है और उच्च न्यायालय यह तर्क नहीं दे सकता है कि उसके अपने नियम उल्लंघन करते हैं।

अनुच्छेद 14 और 16;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो साल से अधिक की अत्यधिक देरी हुई है

viii

न्यायिक रिक्तियों को भरना। यदि चयन वर्ष 2019 के लिए योग्यता सूची का उपयोग करके रिक्तियों को नहीं भरा जाता है,

वे 2023 की शुरुआत तक खाली रहेंगे; और

केरल के नियम 7 (2) की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या

ix

नियम, 1991 और मलिक मजहर सुल्तान (3) में उक्ति इंगित करेगी कि तारीख पर मौजूद सभी रिक्तियां

नियुक्ति भरी जानी चाहिए।

12. अब हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करेंगे।

ग. केरल नियम, 1991

13. केरल न्यायिक सेवा नियम 1991 '1 जनवरी 1992 से लागू हुआ। केरल नियम 1991 जारी किए गए हैं। शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल के राज्यपाल के अधिकार के तहत

संविधान के अनुच्छेद 234 और 235 और केरल लोक सेवा अधिनियम 1968 की धारा 2 (1) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त। जिस अधिसूचना के द्वारा उन्हें जारी किया गया था, एस. आर. ओ. सं. 1621/91, उन्हें "केरल न्यायिक सेवा के संबंध में विशेष नियम" के रूप में वर्णित करता है। नियम 3 निर्दिष्ट करता है कि सेवा में दो श्रेणियां होंगी:

" श्रेणी (I): अधीनस्थ न्यायाधीश I मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

श्रेणी (2): मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट "।

14. राज्य के राज्यपाल श्रेणी (2) के लिए नियुक्ति प्राधिकरण हैं। नियम 5 में मुन्सिफ के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट को सीधे भर्ती और उप-नियम (3) में दिए गए तरीके से स्थानांतरण द्वारा बनाया जाएगा। मूल रूप से, नियम 7 में कोई संशोधन नहीं किया गया है

रूप निम्नलिखित शब्दों में डाला गया था:

" 7. अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची तैयार करना और आरक्षण

नियुक्तियाँ:

(1) केरल का उच्च न्यायालय समय-समय पर निर्णय लेगा।

लिखित और मौखिक परीक्षाएँ, भरी जाने वाली रिक्तियों की संभावित संख्या को सूचित करने के बाद और श्रेणी (2) में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करें। सूची उच्च न्यायालय जैसी प्रक्रिया का पालन करने के बाद तैयार की जाएगी।

उचित समझते हैं और आरक्षण से संबंधित नियमों का पालन करते हुए

7 " केरल नियम 1991 "केरल का उच्च न्यायालय बनाम।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के भाग II के नियम 14 से 17 में निहित नियुक्तियाँ।

(2) अधिसूचित संभावित रिक्तियों की संख्या के दोगुने से अधिक की सूची राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची अनुमोदन की तारीख से लागू होगी और तीन साल की अवधि या नई अनुमोदित सूची तैयार होने तक लागू रहेगी।

जो भी पहले हो "।

15. नियम 7 के उप-नियम (1) में अपीलार्थी को रिक्तियों की संभावित संख्या को अधिसूचित करने के बाद परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता थी।

भरा जाए "। उप-नियम (2) के तहत, अधिसूचित संभावित रिक्तियों की संख्या के दोगुने से अधिक नहीं वाली एक सूची के लिए अग्रेषित किया जाना था - राज्यपाल की मंजूरी। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची तीन साल की अवधि के लिए या एक नई अनुमोदित सूची तैयार होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहने वाली थी।

16. 19 जनवरी 2019 को केरल न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम 2018 को केरल राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप

संशोधन, नियम 7 (1) के अंतिम वाक्य को निम्नलिखित में प्रतिस्थापित किया गया था

शर्तें

" चयन लगातार दो चरणों में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पहले चरण में, पदों के लिए सही उम्मीदवारों का पता लगाने और मुख्य परीक्षा को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक प्रारंभिक जांच परीक्षा आयोजित की जानी है। प्रारंभिक परीक्षा में, 1 का अनुपातः 10 अधिसूचित किया गया सफल उम्मीदवारों के लिए
रिक्तियों को बनाए रखा जाए। दूसरे चरण में, एक मुख्य परीक्षा होगी जिसमें एक लिखित परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा होगी। मुख्य (लिखित)

परीक्षा में समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कुल 400 अंकों के 100 अंकों के चार पेपर होंगे। वाइवा वॉयस के लिए उम्मीदवारों की संख्या सामान्य रूप से अधिसूचित रिक्तियों के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। वाइवा वॉस के लिए अधिकतम अंक 50 होगा। वाइवा वॉयस में कट ऑफ मार्क सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत है। योग्यता सूची द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी

मुख्य (लिखित) परीक्षा और वाइवा [2021] 1 एस. सी. आर. में सफल उम्मीदवार।

आवाज़ देते हैं। योग्यता सूची और चयन सूची तैयार करने के लिए, केरल राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के भाग II के नियम 14 से 17

1958 के नियमों का पालन किया जाएगा।

इसी तरह नियम 7 (2) को निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था:

" 6. मौजूदा नियमों के नियम 7 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए: " (2) उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची अनुमोदन की तारीख से लागू होगी और अधिसूचित रिक्तियों और सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने या एक नई सूची लागू होने तक मान्य होगी, जो भी पहले हो।

17. जैसा कि हमने ऊपर देखा है, अपरिवर्तित नियम 7 (2) के तहत एक शर्त थी कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची बनी रहेगी।

तीन साल की अवधि के लिए या एक नई सूची तैयार होने तक (तीन साल की शर्त को पहले एस. आर. ओ. 660/2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था)। 2019 में लागू हुए संशोधन के परिणामस्वरूप, यह निर्धारित किया गया है कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची अधिसूचित रिक्तियों और एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों तक वैध होगी।

सूची के अनुमोदन की तारीख से भरा जाता है या एक नई सूची लागू होती है, जो भी पहले हो।

डी. मलिक मजहर सुल्तान (3)

18. देश भर में जिला न्यायपालिका के भीतर आने वाले पदों में खाली रिक्तियों के अस्तित्व पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है

मलिक मजहर सुल्तान (3) v. यू पी लोक सेवा आयोग

(" मलिक मजहर सुल्तान (3) ")। 4 जनवरी 2007 को दिए गए फैसले में रिक्तियों को निर्धारित करने के तरीके और हर साल चयन करने के तरीके के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए गए थे। इस न्यायालय के निर्णय में प्रत्येक राज्य की न्यायिक सेवा में पदों पर चयन के लिए एक वार्षिक अभ्यास की परिकल्पना की गई है। मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल और न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर इस न्यायालय के फैसले को लगभग पांच साल बीत चुके हैं।

8 (2008) 17 एस. सी. सी. 703

9 (2002) 4 एस. सी. सी. 247 केरल का उच्च न्यायालय बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जिला न्यायपालिका में सभी स्तरों पर मौजूदा रिक्तियों को, यदि संभव हो, 31 मार्च 2003 तक भरा जाना चाहिए। इस आकांक्षा के बावजूद, न्यायिक रिक्तियों का बैकलॉग अधूरा रहा। समस्या, जैसा कि न्यायालय ने इसे महसूस किया, यह थी कि:

" 1. लगभग पाँच साल पहले इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि

सभी स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालयों में मौजूदा रिक्तियों को सभी राज्यों में, यदि संभव हो, तो नवीनतम 31-3-2003 द्वारा भरा जाना चाहिए। यह निर्देश अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में निहित है। (III) v. भारत संघ (2002) 4 एस. सी. सी. 247: 2002 एससीसी (एल एंड एस) 508]। यह देखा गया है कि एक स्वतंत्र और कुशल न्यायिक प्रणाली एक है हमारे संविधान की मूल संरचना। यदि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो न्याय उपलब्ध नहीं होगा

लोग इस प्रकार मूल संरचना को कमजोर कर रहे हैं। न्याय प्रणाली न्याय के वितरण में देरी से उत्पन्न होने वाली समस्या का सामना कर रही है, जिसका एक प्रमुख कारण न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है, जब या तो बड़ी संख्या में लंबित मामलों की तुलना में या औसत न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात के संबंध में दुनिया के विभिन्न अन्य लोकतंत्रों में उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या [एड। : बीटिंग द बैकलॉग को भी देखें। डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा कम चर्चा, अधिक कार्य (2007) 2 एस. सी. सी. जे-9]। इस दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाना और भी आवश्यक हो जाता है

कि अदालतों में रिक्तियों को समय पर भरा जाए।

इन निर्देशों को जारी करते समय और रिक्तियों को भरने के लिए न्यायिक नियुक्तियां करने में जिन समय सारिणी का पालन किया जाना चाहिए,

न्यायालय ने इस निवेदन पर विचार किया कि उसके निर्देश उन लोक सेवा आयोगों की भूमिका और कार्यों पर प्रभाव डालेंगे जिन्हें राज्यों में न्यायिक नियुक्तियों का काम सौंपा गया था। प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि:

" 5 ..... यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा चयन किए जाने की आवश्यकता है।

19. इस न्यायालय ने कहा कि उत्तरोत्तर, एक आम सहमति पर पहुंचना होगा ताकि जिला न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालयों द्वारा या लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत संचालित की जा सके।

अदालतें। न्यायालय ने समय-सीमा निर्दिष्ट करते हुए विस्तृत निर्देश जारी किए जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ; सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) और सिविल [2021]

न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)। सिविल जू डिवीजन के पद पर नियुक्ति के लिए) सीधी भर्ती द्वारा, इस न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित समय अनुसूची:

" 7 .....

D. सिविल जज के पदों पर नियुक्ति के लिए

प्रभाग) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा

$ 1 .

वर्णन

नहीं।

1 . उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित रिक्तियों की संख्या।

(क) मौजूदा रिक्तियां। (ख) भविष्य में रिक्तियां जो सेवानिवृत्ति के कारण एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हो सकती हैं। (ग) पदोन्नति, मृत्यु या अन्य कारणों से भविष्य में रिक्तियां हो सकती हैं।

पदों की संख्या का दस प्रतिशत।

2 . योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने का विज्ञापन।

3 . आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।

4 . योग्य आवेदकों की सूची का प्रकाशन।

सूची वेबसाइट पर रखी जा सकती है।

5 . पात्र आवेदकों को प्रवेश पत्र भेजना/जारी करना। 6 . प्रारंभिक लिखित परीक्षा

बहु विकल्प वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनकी कंप्यूटर द्वारा जांच की जा सकती है।

7 . प्रारंभिक लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा

(क) परिणाम वेबसाइट पर डाला जा सकता है और समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा सकता है। ((b) 1 का अनुपात: 10 सफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से बनाए रखें।

8 . अंतिम लिखित परीक्षा

विषयगत/कथात्मक।

9 . अंतिम लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा

(क) परिणाम वेबसाइट पर डाला जा सकता है और समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा सकता है। ((b) 1 का अनुपातः 3 सफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से

बनाए रखा। (
ग) सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तारीखें इंटरनेट पर डाली जा सकती हैं जिन्हें उम्मीदवार छाप सकते हैं और तारीख की कोई अलग सूचना नहीं दी जा सकती है।

साक्षात्कार भेजा जाना चाहिए।

10 . वाइवा वॉयस।

11 . अंतिम चयन सूची की घोषणा और नियुक्ति प्राधिकरण को संचार (ए) परिणाम वेबसाइट पर रखा जा सकता है और समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा सकता है। (ख) चयन सूची योग्यता के क्रम में प्रकाशित की जानी चाहिए और अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से दोगुनी होनी चाहिए। 12 . सभी मौजूदा रिक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना।

आज की तारीख में पोस्ट।

13 . शामिल होने की अंतिम तिथि।

20. उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों को चयन और नियुक्तियों की प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए समितियों को निर्देश दिया गया था।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिकारीगण और प्रक्रिया की देखरेख के लिए उच्च न्यायालय के भीतर एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करना। इस न्यायालय के फैसले में परिकल्पना की गई है कि उच्च न्यायालयों/राज्य लोक सेवा से सिफारिशें प्राप्त होने के एक महीने के भीतर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। आयोग। फैसले के पैराग्राफ 15 में एक और निर्देश है कि:

" 15 ..... अप्रत्याशित रिक्तियों का दस प्रतिशत स्वीकृत पदों के संबंध में होगा न कि किसी विशेष पद में होने वाली रिक्तियों के संबंध में।

वर्ष '।

21. जबकि न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और राज्यों की सरकारों या, जैसा भी मामला हो, केंद्र शासित प्रदेशों को विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों और अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की स्थिति में समय अनुसूची में बदलाव के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

प्रासंगिक विचार, निर्णय में इंगित समय अनुसूची का पालन करने और तदनुसार नियुक्तियां करने का निर्देश दिया गया था जब तक कि इसमें बदलाव नहीं किया गया था।

22. केरल राज्य में, चुनिंदा लोगों में से मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के चयन और नियुक्ति के संबंध में कुछ कार्यवाहियां हुईं।

सूची जो 2013 में तैयार की गई थी। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के चयन के लिए 2013 की अधिसूचना 30 ग्राम न्यायालयों और 27 विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालयों के अतिरिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित की गई थी। अधिसूचना के अनुसार, 66 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। 2013 में चयन के लिए, अपीलार्थी ने सामान्य भर्ती के लिए 74 और एन. सी. ए. के लिए 7 संभावित रिक्तियों को अधिसूचित किया था। 74 रिक्तियों की गणना करते हुए, अपीलार्थी ने उपरोक्त ग्राम न्यायालयों और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना को ध्यान में रखा। 66 उम्मीदवारों की एक चुनिंदा सूची को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया था और 31 अक्टूबर 2014 और 1 नवंबर 2014 को सभी 66 उम्मीदवारों को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसा हुआ कि 74 रिक्तियों को अधिसूचित किए जाने के बाद 30 ग्राम न्यायालय नहीं थे।

अपेक्षित रूप से स्थापित, जिसके परिणामस्वरूप 30 की कमी हुई

2013 के चयन के भीतर तत्कालीन मौजूदा 66 उम्मीदवारों में से 2015 की रिक्तियों को भरें। आई. ए. इस न्यायालय के समक्ष एक साथ आया मलिक [2021] 1 एस. सी. आर. के अनुपालन पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दायर रिपोर्ट।

मजहर सुल्तान (3) दिशाएँ। 27 अक्टूबर 2015 के एक आदेश द्वारा, आई. ए. पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

" 2015 का आई. ए. सं. 141

केरल उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमित्र और विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा दृढ़ विचार है कि आवेदन में प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, 2015 का आई. ए. सं. 141 खारिज कर दिया जाता है।

24. अपीलार्थी को "उपयुक्त स्थिति रिपोर्ट" दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

25. वर्तमान मामले में विवाद के लिए इन घटनाओं का महत्व अपीलार्थी के निवेदन की सराहना करने में निहित है कि वार्षिक चयन प्रक्रिया की आवश्यकता और निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन इस न्यायालय द्वारा पवित्र माना गया है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा 2014-15 के लिए चयन करने से छूट देने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

26. विशिष्ट विशेषता जो निर्णय से सामने आती है

मलिक मजहर सुल्तान (3) का कहना है कि निर्देश जारी करने में इस न्यायालय का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश भर में न्यायिक प्रणाली के लिए अभिशाप बनी हुई रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा का पालन करके और न्यायिक पदों पर चयन के लिए एक वार्षिक प्रक्रिया अपनाकर भरा जाए। इसी उद्देश्य के साथ निर्णय में विस्तृत समय-सीमा का वर्णन किया गया था। समयबद्ध अनुपालन की मांग की गई थी, सिवाय इसके कि अपवादात्मक कारणों को छोड़कर, इस न्यायालय द्वारा एक विस्तार दिया गया था। उस निर्णय की घोषणा के बाद से, इस न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों द्वारा देश भर में अनुपालन की लगातार निगरानी की है। जनसंख्या अनुपात के प्रतिकूल न्यायाधीश का सामना करते हुए, इस न्यायालय का प्रयास यह सुनिश्चित करना रहा है कि कम से कम जिला न्यायपालिका में उपलब्ध पदों को भरा जाए।

27. एक अन्य पहलू जिसका इस स्तर पर उल्लेख करने की आवश्यकता है, वह यह है कि मलिक में 4 जनवरी 2007 को दिए गए निर्णय में

मजहर सुल्तान (3), इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वार्षिक चयन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या होगी

सम्मिलित करके गणना की गई:

केरल का उच्च न्यायालय बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((i)

मौजूदा रिक्तियां;

(11) भविष्य में रिक्तियां जो एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हो सकती हैं

सेवानिवृत्ति;

(iii) भविष्य में रिक्तियां जो पदोन्नति, मृत्यु के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।

या अन्यथा "पदों की संख्या का 10 प्रतिशत कहें"।

मौजूदा रिक्तियां ज्ञात हैं। सेवानिवृत्ति के कारण रिक्तियां

इन्हें इसलिए भी जाना जाता है, क्योंकि सेवा नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की आयु के साथ सेवानिवृत्ति की तिथि जन्म तिथि द्वारा तय की जाती है। तीसरी श्रेणी सेवा की अभेद्यता को पहचानती है: रिक्तियां अनिवार्य रूप से

पदोन्नति, मृत्यु या इस्तीफे और ऐसे अन्य कारकों के कारण उत्पन्न होता है जिनकी सटीक संख्या का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। गणना में

चयन वर्ष के लिए ध्यान में रखा गया। अत: मूल निर्णय में, इस न्यायालय ने विचार किया कि पदों की संख्या का लगभग 10 प्रतिशत "पदोन्नति, मृत्यु या अन्यथा" के कारण उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों की आकस्मिकताओं को शामिल करेगा। इस श्रेणी को एक बाद के निर्णय में निपटाया गया था जिसे 24 मार्च 2009 को विद्वान मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन (जैसा कि वे उस समय थे) की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 10 प्रतिशत की शर्त को संशोधित करने का सटीक कारण इस न्यायालय के आदेश में समझाया गया था।

" 2. यह विभिन्न की ओर से पेश वकील द्वारा इंगित किया गया है उच्च न्यायालयों ने कहा कि स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत को अधिसूचित किया गया है

कुछ राज्यों में। बड़ी संख्या में पदों को अधिसूचित किया जाना है जबकि

इसी संख्या में रिक्तियों को भरा जाना था यदि

ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने की अपेक्षा और यह उम्मीदवारों द्वारा अवांछित मुकदमेबाजी पैदा करता है और यह है

प्रार्थना की कि केवल मौजूदा रिक्तियों को ही अधिसूचित किया जाए

प्रत्याशित रिक्तियों के साथ जो अगले में उत्पन्न हो सकती हैं

एक वर्ष और कुछ उम्मीदवारों को प्रतीक्षा में भी शामिल किया जाएगा।

उच्च न्यायालयों/पी. एस. सी. द्वारा तैयार सूची।

(जोर दिया गया)

10 मलिक मजहर सुल्तान और अन्र। बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य। , (2009) 17 एससीसी 24 [2021] 1 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालयों की उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पूर्ववर्ती निर्णय को निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में संशोधित किया गया:

" 3. इस न्यायालय द्वारा 4.1.2007 पर पारित आदेश के अधिक्रमण में, यह न्यायालय निर्देश देता है कि भविष्य में उच्च न्यायालय/पी. एस. सी. रिक्तियों की मौजूदा संख्या और प्रत्याशित संख्या को सूचित करें अगले एक वर्ष के लिए रिक्तियां और कुछ उम्मीदवार भी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाए। इस हद तक पूर्व आदेश है संशोधित "।

(जोर दिया गया)

28 इसलिए, रिक्तियों की गणना में वार्षिक रूप से अधिसूचित किया जाना है उच्च न्यायालय, तीन कारकों को ध्यान में रखा जाएगा

(1) रिक्तियों की वर्तमान संख्या;

अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित रिक्तियां; और

((ख) प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जाने वाले कुछ उम्मीदवार।

(iii)

ई. न्यायाधीशों की समिति: केरल उच्च न्यायालय

29. वर्तमान मामले में अपने निर्णय के दौरान, प्रभाग उच्च न्यायालय की पीठ ने अपनी न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः केरल नियम 1991 में संशोधन किया गया। संशोधन से पहले, नियम 7 (2) में परिकल्पना की गई थी कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची तीन साल की अवधि के लिए या नई अनुमोदित सूची तैयार होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

मलिक मजहर सुल्तान (3) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीशों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि:

" 20. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केरल के नियम 7 (2) के अनुसार न्यायिक सेवा नियम, 1991, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची

अनुमोदन की तारीख से लागू होगा और बना रहेगा। तीन साल की अवधि के लिए या एक नई अनुमोदित सूची होने तक लागू

तैयार, जो भी पहले हो। मलिक के निर्देशों के अनुसार

मजहर सुल्तान मामला, सभी श्रेणियों के लिए तैयार की गई चयन सूची अधिकारी अगली चयन सूची प्रकाशित होने तक वैध रहेंगे। यह भी है

इसमें कहा गया है कि भर्ती हर साल आयोजित की जानी है। 21. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को देखते हुए,

वैधता अवधि के संबंध में मौजूदा प्रावधान

नियम 7 (2) में निहित योग्यता सूची को केरल v के उच्च न्यायालय में संशोधित किया जाना है।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रभाव कि योग्यता सूची अगले चयन तक वैध होगी सूची "प्रकाशित की गई है।

(जोर दिया गया)

नियम 7 (2) के संशोधन को अधिसूचित किया गया था। हालांकि, करते समय

अत: नियम 7 (2) को भाषा में जोड़ा गया था जिसका अर्थ यह हो सकता है कि मौजूदा चयन सूची में अधिसूचित संभावित रिक्तियां शामिल होंगी और इसके अलावा, राज्यपाल की मंजूरी के एक वर्ष के भीतर या अगली चयन सूची प्रकाशित होने तक, जो भी पहले हो, रिक्तियां भी शामिल होंगी।

एफ. केरल नियम, 1991 के नियम 7 (2) के साथ सामंजस्य स्थापित करना

मलिक मजहर सुल्तान (3)

30. अपीलार्थी ने अनिवार्य रूप से दो-आयामी को अपनाया है।

इन कार्यवाही में प्रस्तुत करना। प्रस्तुतियों का पहला अंग यह है कि नियम 7 (2) को मलिक मजहर सुल्तान (3) के निर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो 4 जनवरी 2007 के आदेश में निर्धारित अपनी सारणीबद्ध समयसीमा में उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें रिक्तियों को सालाना 15 जनवरी को अधिसूचित किया जाना है। अपीलार्थी इस बात पर जोर देता है कि पदोन्नति, मृत्यु या अन्यथा के कारण उत्पन्न होने वाली 10 प्रतिशत रिक्तियों के बारे में निर्देश को 24 मार्च 2009 के बाद के आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से हटा दिया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि भविष्य में उच्च न्यायालय रिक्तियों की मौजूदा संख्या और प्रत्याशित रिक्तियों को अधिसूचित कर सकते हैं और कुछ उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में। इस आधार पर, अपीलकर्ता इंगित करता है कि 1 फरवरी 2019 को अधिसूचित रिक्तियों के विभाजन में शामिल हैं:

मौजूदा रिक्तियां-6 [एक पीडब्ल्यूडी सहित]

31.12.2019-27 तक प्रत्याशित रिक्तियां

- 10 % रिक्तियां जोड़ी गईं-4

अधिसूचित कुल रिक्तियां-37

अपीलार्थी के अनुसार, योग्यता सूची में और कुछ नहीं होना चाहिए

अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से दोगुनी। इसलिए, 2019 की योग्यता सूची में 69 व्यक्ति हैं जो अकेले योग्य थे। अपीलार्थी का कहना है कि केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के भाग-II के नियम 14 से 17 में निहित आरक्षण के नियमों को लागू करने के बाद चयन सूची तैयार की गई थी।

चयन सूची में आरक्षण के नियमों को लागू करने के बाद नियमित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए 32 व्यक्तियों के नाम थे। योग्यता सूची में ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं थे जो [2021] 1 एस. सी. आर. से संबंधित थे।

5 रिक्तियों के लिए विशेष आरक्षण श्रेणियां, यही कारण है कि चयन सूची में नियमित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति के लिए 32 व्यक्ति और 5 व्यक्ति शामिल थे जिन्हें पिछले वर्ष से एनसीए रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, 14 जनवरी 2019 से संशोधित नियम 7 (2) को निम्नलिखित के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए: मलिक मजहर सुल्तान (3) जो वार्षिक चयन प्रदान करता है। अपीलार्थी का यह निवेदन है कि यदि नियम 7 (2) को अधिसूचित रिक्तियों तक अनुमोदित सूची को अनिवार्य रूप से संचालित करने के लिए व्याख्या की जाती है और

सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरा जाता है, या एक नई सूची लागू होती है जो पहले मलिक मजहर सुल्तान मामले में इस अदालत के फैसले के विपरीत होगी।

(3) .

31. अपीलार्थी की प्रस्तुतियों का दूसरा अंग यह है कि यदि नियम 7 (2) को शाब्दिक तरीके से पढ़ा जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। इसलिए, अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि नियम की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए जिससे इसकी वैधता गंभीर संदेह के लिए खुली हो। अपीलार्थी ने 30 जून 2020 की अधिसूचना द्वारा चयन वर्ष 2020 के लिए भर्ती शुरू कर दी है। इस अधिसूचना में 2020 की शुरुआत में मौजूद रिक्तियों के साथ-साथ 31 दिसंबर 2020 तक होने वाली रिक्तियों के साथ-साथ 10 प्रतिशत रिक्तियां शामिल हैं। चयन वर्ष 2020 की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इसके अनुसार नहीं हो सकता है प्रस्तुतिकरण को चयन वर्ष 2019 के दायरे में लाया जाएगा। कहने का मतलब है, जो रिक्तियां 31 दिसंबर 2019 (विचाराधीन भर्ती वर्ष) के बाद उत्पन्न होती हैं, वे वास्तव में 2019 के लिए अधिसूचित रिक्तियों से अधिक हैं। वर्ष 2020 के लिए अधिसूचना की तारीख को मौजूद रिक्तियों (15 जनवरी 2020 को गणना की जानी है) और 31 दिसंबर 2020 तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को चयन वर्ष 2020 के लिए अधिसूचित किया जाना है। ऐसी रिक्तियों को 2019 की योग्यता सूची से नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि उन्हें 2019 में अधिसूचित नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है। अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में यह एकमात्र व्याख्या है जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता के सिद्धांत को स्वीकार करेगी।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा शासित। अपीलार्थी ने यह स्थिति अपनाई है कि निष्पक्ष, न्यायसंगत और संवैधानिक रूप से अनुपालन करने वाली प्रक्रिया का पालन करना उसका कर्तव्य है। 32. अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में, जहां अधिसूचित रिक्तियों के लिए चयन किया जाता है और चयन सूची चयन वर्ष के बाद उत्पन्न होने वाली अधिसूचित रिक्तियों से परे संचालित की जाती है,

केरला बनाम के उच्च न्यायालय के दौरान पात्र बनने वाले व्यक्तियों के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अंतराल का उल्लंघन किया जाएगा। 'संभावित' शब्द किसी पदधारी की मृत्यु, इस्तीफे या पदानुक्रमित पदोन्नति या अन्यथा किसी उच्च श्रेणी में किसी पदधारी की नियुक्ति के माध्यम से अभेद्य को शामिल करने के लिए एक जोड़ या कटौती को दर्शाता है। इस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत का जोड़ दिया गया है, जैसा कि मलिक मजहर सुल्तान (3) में दिया गया है। अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि नियम 7 (2) के शाब्दिक निर्माण पर, 2019 की चयन सूची के संचालन के उद्देश्य से चयन वर्ष 2020 के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को जोड़ना एक उल्लंघन में शामिल होगा।

अनुच्छेद 14 और 16। इसके अनुसार, मलिक मजहर सुल्तान (3) में प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ नियम 7 (2) के सामंजस्यपूर्ण पठन को अपनाकर इस तरह के परिणाम को दूर किया जाना चाहिए। 33. अपीलार्थी के दो-आयामी प्रस्तुतिकरण का विरोध करते हुए, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया है कि

((i)

नियम 7 (2) उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है जो थे

मलिक मजहर सुल्तान (3) में वर्णित; और

((ख)

अनुच्छेद 14 और 16 का कोई उल्लंघन नहीं है जब

वैधानिक नियमों में विचार किया गया है कि चयन सूची उन रिक्तियों के लिए संचालित की जाएगी जिन्हें अधिसूचित किया गया था और साथ ही रिक्तियों के लिए जो राज्यपाल द्वारा चयन सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर या नए सिरे से आने तक उत्पन्न होती हैं। सूची तैयार की जाती है, जो भी पहले हो।

34. अपीलार्थी के दो-आयामी प्रस्तुतिकरण का विश्लेषण करते समय, शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल नियम 1991 शासन करता है। केरल न्यायिक सेवा में नियुक्तियाँ। मलिक में निर्णय

हर राज्य में। न्यायिक सेवा के लिए चयन द्वारा संचालित किया जाना है संबंधित राज्यों में बनाए गए नियमों का पालन करते हुए प्राधिकरण। केरल नियम 1991 अपने अधिकार का पता एक संवैधानिक और वैधानिक शक्ति दोनों पर लगाता है। एस. आर. ओ. सं. 1621/1991 जिसके द्वारा नियम जारी किए गए थे, अपने प्रारंभिक पाठ में यह स्पष्ट करता है:

" एस. आर. ओ. नं. 1621/91: - भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 और 235 और केरल लोक सेवा अधिनियम, 1968 (1968 का 19) की धारा 2 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी मौजूदा नियमों के अधिक्रमण में, केरल के राज्यपाल एतद्द्वारा केरल न्यायिक सेवा के संबंध में निम्नलिखित विशेष नियम बनाते हैं।

मलिक मजहर सुल्तान (3) के फैसले में कहा गया है कि "चयन संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियम। इस पर जोर देते हुए, न्यायालय के फैसले में विशेष रूप से इस आपत्ति पर विचार किया गया कि सभी स्तरों पर जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा चयन समितियों का गठन लोक सेवा आयोगों के स्वतंत्र कामकाज के साथ एक निष्कर्ष के बराबर होगा। अदालत ने

अभिनिर्धारित किया कि आशंका "पूरी तरह से गलत" थी, "राज्यों में संबंधित न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में हमने पहले ही नोट कर लिया है"। मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय का उद्देश्य एक विशिष्ट समस्या से निपटना था, अर्थात् जिला न्यायपालिका में न्यायिक रिक्तियों को भरना। जिस समाधान की परिकल्पना की गई थी वह नियंत्रित प्रक्रिया के संदर्भ में था विशिष्ट समय सीमा जिसके तहत पदों को भरने के लिए एक वार्षिक अभ्यास किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 234 में कहा गया है:

" 234. किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद उस ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

अनुच्छेद 235 1 2 जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण में निहित है, जिसमें किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और उन्हें छुट्टी देना शामिल है। व्यक्तियों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले उच्च न्यायालय के नियम

जिला न्यायाधीशों के अलावा किसी राज्य की न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों को संवैधानिक अधिकार होता है जिसका स्रोत अनुच्छेद 234 में मिलता है। मलिक मजहर सुल्तान (3) में इस कानूनी स्थिति की मान्यता कि राज्यों में या जैसा भी मामला हो, केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार चयन किया जाना है, इसलिए अनुच्छेद 234 के जनादेश के अनुसार है।

11 (2008) 17 एस. सी. सी. 703, पृष्ठों पर 75-76, पैरा

12 " जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद से हीन कोई पद धारण करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और उन्हें अनुमति प्रदान करना शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित होगा, लेकिन इस

अनुच्छेद की किसी भी बात का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से अपील करने का कोई अधिकार छीनने के रूप में नहीं लगाया जाएगा जो उसे अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली कानून के तहत हो सकता है या उच्च न्यायालय को ऐसी कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार अन्यथा उससे निपटने के लिए अधिकृत करता है।

5-6 केरल का उच्च न्यायालय बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

35. इस न्यायालय के बाद के दो फैसलों में, हम न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों को पवित्रता प्रदान करने वाले सिद्धांत की पुनरावृत्ति पाते हैं।

राज्यों में सेवा। राखी रे बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसी स्थिति को शामिल किया जहां उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के कैडर में 20 रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें से 13 सामान्य श्रेणी से, 3 अनुसूचित जाति से और 4 अनुसूचित जनजाति से लिए जाने थे। सामान्य श्रेणी के सभी 13 रिक्तियों को इसके अनुसार भरा गया था

योग्यता सूची और चयनित उम्मीदवारों से नीचे रैंक करने वाले अपीलार्थियों को नियुक्त नहीं किया गया था। कुछ असफल उम्मीदवारों ने प्रस्ताव रखा

वर्तमान नियमों के अनुसार नियुक्तियां की जानी थीं और वर्तमान वैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए नियुक्तियां की जानी थीं। प्रावधान "1 5. तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए डॉ. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान ने कहा कि नियुक्तियां दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम 1970 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

निर्धारित किए जाने के बाद रिक्तियों का विज्ञापन "। इसके अलावा, "आरक्षण नीति को लागू किया जाना है, रिक्तियों की संख्या निर्धारित की जानी है", जिसमें विफल रहने पर आरक्षण नीति को लागू करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। नतीजतन, अदालत ने कहा कि मलिक मजहर सुल्तान (3) के फैसले के अनुसार प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखने का कोई सवाल ही नहीं है। चूंकि मौजूदा वैधानिक नियमों को देखते हुए प्रत्याशित रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है, और उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा सकता है:

" 21. नियुक्तियाँ दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जानी थीं। उक्त नियमों में निर्धारित होने के बाद रिक्तियों के विज्ञापन का प्रावधान है। इन नियमों में आरक्षण के कार्यान्वयन का भी प्रावधान है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में नीतियाँ। चूंकि आरक्षण नीति को लागू किया जाना है,

भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या निर्धारित की जानी है,

13 (2010) 2 एस. सी. सी. 637 14 पृष्ठ 644 पर, पृष्ठ 645 पर पैरा 18 1 5, पैरा 20

अन्यथा आरक्षण को लागू करना संभव नहीं होगा। बिल्कुल भी नीति। इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्णय के अनुसार प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखने का प्रश्न

मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में [(2008) 17 एससीसी 703: (2007) 2 स्केल 159], जो मौजूदा को देखते हुए निर्धारित नहीं किया गया था वैधानिक नियम उत्पन्न नहीं हो सके।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें प्रस्तुतियों में कोई बल नहीं मिलता है कि उच्च न्यायालय रिक्तियों को भर सकता था

मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 19-5-2007 पर विज्ञापित रिक्तियां [(2008) 17 SCC

703 : (2007) 2 स्केल 159] "।

36. राखी रे ने एक ऐसी स्थिति को शामिल किया जहां उम्मीदवार जो रिक्तियों पर नियुक्ति की मांग करने में सफल नहीं थे विज्ञापित, अतिरिक्त रिक्तियों को शामिल करके जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, उन रिक्तियों के अलावा जिन्हें अधिसूचित किया गया था। इस अदालत ने अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न्यायिक सेवा नियमों और अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश दोनों के संदर्भ में इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं है (इस फैसले में बाद वाले पहलू का थोड़ी देर बाद पता लगाया जाएगा)।

37. अगला निर्णय जिसे इस स्तर पर संदर्भित करने की आवश्यकता है, वह है हिरंद्र कुमार बनाम। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय 1 6

(" हिरन्द्र कुमार ")। हीरंद्र कुमार ने यूपी न्यायिक सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत एक ऐसी स्थिति को शामिल किया, जहां एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में ढील दी जा सकती है। आयु सीमा उस वर्ष के बाद के वर्ष के जनवरी के पहले दिन के संदर्भ में निर्धारित की गई थी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है। इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं का निवेदन था कि मलिक मजहर सुल्तान (3) के निर्णय के आधार पर, उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को आयु में छूट दी जा सकती है क्योंकि उम्मीदवार ने भर्ती की अंतिम तिथि और वर्तमान के बीच निर्धारित आयु सीमा को पार कर लिया है। इस निवेदन को खारिज करते हुए, अदालत ने हम में से एक (डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" 16. नियम 12 के तहत, न्यूनतम आयु मानदंड 35 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए तीन साल की छूट है।

16 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 254 जी. एच. कोर्ट ऑफ केराला बनाम

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आयु सीमा वर्ष के जनवरी के पहले दिन के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जो उस वर्ष के बाद आती है जिसमें आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है। 17. याचिकाकर्ताओं की ओर से जो निवेदन किया गया था, वह मलिक मजहर मामले में इस अदालत के फैसले पर आधारित है

सुल्तान (ऊपर)। उच्च न्यायिक सेवा और जिला न्यायपालिका में अन्य सभी स्तरों पर रिक्तियों को भरने के लिए एक समय सारिणी तैयार करते समय, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती के नियम लागू हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

" 5. इससे पहले कि हम सामान्य निर्देश जारी करें और रिक्तियों को भरने के लिए समय सारिणी का पालन करें जो उत्पन्न हो सकते हैं

अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों, यह नोट करना आवश्यक है

कि वर्तमान न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा चयन किए जाने की आवश्यकता है

संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश। हालाँकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि, उत्तरोत्तर, संबंधित अधिकारी विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और अंततः एक आम सहमति पर पहुंच सकते हैं कि चयन प्रक्रिया स्वयं उच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोग द्वारा नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत की जाएगी।

उच्च न्यायालय "।

19. वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या मलिक मजहर सुल्तान (ऊपर) में लिए गए निर्णय का यह निहित अधिकार माना जा सकता है कि जो उम्मीदवार एच. जे. एस. में भर्ती के लिए आवेदन करता है, उसे इस तथ्य के आधार पर आयु में छूट दी जा सकती है कि भर्ती की अंतिम तिथि और वर्तमान के बीच, उम्मीदवार ने निर्धारित आयु सीमा को पार कर लिया है।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एच. जे. एस. के लिए चयन और न ही वे किसी भी उम्मीदवार को चयन के लिए या नियमों का उल्लंघन करते हुए आयु में छूट के अधिकार का दावा करने के लिए लागू करने योग्य अधिकार प्रदान करते हैं। जब तक नियम मैदान में हैं, एक उम्मीदवार को पात्र होने के लिए, आयु की आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा जो हैं: नियमों द्वारा निर्धारित "।

38. राखी रे में, जिस निवेदन को स्वीकृति नहीं मिली, वह यह था कि प्रत्याशित रिक्तियों को उन रिक्तियों के अलावा माना जाना चाहिए जिन्हें बनाने के लिए विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था।

नियुक्तियाँ। हिरंद्र कुमार उम्मीदवारों में, जिन्होंने इस आधार पर आयु में छूट की मांग की थी कि पिछली भर्ती के बाद उन्होंने आयु सीमा को पार कर लिया था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इस अदालत ने माना कि अनुपालन

मना कर दिया। इस प्रकार हम अपीलार्थी के व्यापक निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मलिक मजहर सुल्तान (3) के निर्देश नियम 7 (2) में निहित प्रावधानों पर प्रबल होंगे। एक बेहतर दृष्टिकोण एक ऐसी व्याख्या की तलाश करना है जो उनके बीच सामंजस्य लाए। जी. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के साथ केरल नियम, 1991 के नियम 7 (2) को सुसंगत बनाना।

39. अपीलार्थी द्वारा आग्रह की गई प्रस्तुतियों का दूसरा अंग

इस तरह से व्याख्या की गई जो नियम को एक चुनौती से बचाएगा कि यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अनिवार्य रूप से, प्रस्तुतिकरण इस मौलिक नियम पर आधारित है कि जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण एक निर्धारित संख्या को अधिसूचित करता है भर्ती के लिए रिक्तियां, अधिसूचना द्वारा कवर किए गए पदों पर नियुक्तियां अधिसूचित रिक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। प्रस्तुतिकरण यह है कि यदि 2019 की चयन सूची को भरकर संचालित किया जाता है

2020 के लिए उत्पन्न होने वाली रिक्तियों से केरल बनाम उच्च न्यायालय के अधिकारों का गंभीर रूप से क्षरण होगा।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जो उम्मीदवार 2020 में पात्र हो जाते हैं, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बाद के वर्ष के लिए रिक्तियों में कमी आएगी।

40. इस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए विज्ञापन देना आवश्यक हो जाता है।

मिसाल की रेखा जिसके माध्यम से संवैधानिक सिद्धांत उभरा है। प्रेम सिंह बनाम। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड ने 2 नवंबर 1991 के विज्ञापन के आधार पर जूनियर इंजीनियर के 62 रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्णय लिया, 15 पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, 6 पिछड़े वर्गों के लिए और 9 पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। चयन समिति ने 212 उम्मीदवारों का चयन किया और नामों की सिफारिश की। बोर्ड ने 11 फरवरी 1993 को नवीनतम रिक्ति पद पर विचार करते हुए 147 पदों को भरने का निर्णय लिया। इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए दो प्रश्न पड़े:

((i)

उम्मीदवार और उस सूची में से 137 को नियुक्त करने के लिए जब विज्ञापित पदों की संख्या केवल 62 थी; और

((ख)

क्या चयन को रद्द करने में अपीलार्थी उचित था

सभी 212 उम्मीदवारों और 137 व्यक्तियों की नियुक्तियाँ।

विषय 1 8 पर मिसाल की ओर बढ़ने के बाद, न्यायमूर्ति जी. टी.

दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए नानावती ने कहा:

“ 25 ..... अनुरोध के माध्यम से चयन प्रक्रिया और स्पष्ट रिक्तियों के लिए विज्ञापन शुरू किया जा सकता है और

प्रत्याशित रिक्तियों के लिए लेकिन भविष्य की रिक्तियों के लिए नहीं। अगर

माँग और विज्ञापन एक निश्चित संख्या के लिए हैं

केवल राज्य अधिक नियुक्तियाँ नहीं कर सकते हैं विज्ञापित पदों की संख्या से, भले ही यह हो सकता है

अधिक उम्मीदवारों की एक चयन सूची तैयार की है। राज्य ने विज्ञापन से भटक सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं

इसके बाद असाधारण रूप से खाली होने वाले पदों पर केवल या किसी आकस्मिक स्थिति में और वह

17 (1996) 4 एससीसी 319 18 सुभाष चंदर शर्मा बनाम। हरियाणा राज्यः (1984) 1 एसएलआर 165 (पी एंड एच); अशोक कुमार यादव बनाम। हरियाणा राज्यः (1985) 5 एससीसी 417: 1986 एससीसी (एल एंड एस) 88: 1985 उदाहरण के लिए (1) एससीआर 657; ए वी भोगेश्वरडू बनाम। ए. पी. लोक सेवा आयोगः जेटी (1989) 4 एससी 130: (1990) 1 एलएलएन 6: (1989) 59 एफएलआर 749 (एससी); होशियार सिंह बनाम। हरियाणा राज्यः 1993 पूरक (4) एस. सी. सी. 377: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 249: (1994) 26 एटीसी 325; बिहार राज्य बनाम। सचिवालय सहायक। सफल परीक्षक संघ 1986: (1994) 1 एससीसी 126: 1994 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 274; गुजरात राज्य डी. एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन। वी. गुजरात राज्यः 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 591: 1994 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1159 [2021] 1 एस. सी. आर.

उस ओर से भी नीतिगत निर्णय लेकर। तब भी जब

विज्ञापन से अधिक पदों को भरने को अदालत में चुनौती दी गई है

अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अमान्य नहीं कर सकता है

अतिरिक्त नियुक्तियाँ और राहत को इस तरह से ढाल सकते हैं

राज्य के हितों के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाने के लिए और

सार्वजनिक रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का हित। क्या राहत है।

ऐसे मामलों में दिया जाना चाहिए तथ्यों पर निर्भर करेगा और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी

नियुक्तियाँ। लेकिन बोर्ड न केवल वास्तविक रिक्तियों को ध्यान में रख सकता था, बल्कि उन रिक्तियों को भी ध्यान में रख सकता था जो चयन प्रक्रिया पूरी होने तक "सेवानिवृत्ति आदि" के कारण उत्पन्न होने की संभावना थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 62 से अधिक पदों पर की गई सभी नियुक्तियों को अमान्य करना न्यायसंगत नहीं होगा। हालाँकि, भविष्य में रिक्तियों के खिलाफ की गई नियुक्तियाँ-इस मामले में नव सृजित पदों पर, अमान्य मानी जानी चाहिए। राहत को आकार देते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्ति के कारण 13 पद और मृत्यु के कारण 12 पद खाली हो गए थे। सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का यथोचित अनुमान लगाया जा सकता था

और बोर्ड ने निरीक्षण के कारण उन्हें ध्यान में नहीं रखा था

जबकि 62 पदों को भरने की मांग की गई थी। जहां तक मृत्यु के कारण खाली हुए पदों का संबंध है, इस न्यायालय ने "उदार दृष्टिकोण" के रूप में वर्णित करते हुए उनके खिलाफ की गई नियुक्तियों को रद्द नहीं किया। इसलिए, बोर्ड द्वारा 87 (मूल 62) से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गईं।

जिन पदों के लिए चयन का विज्ञापन दिया गया था और 25 अतिरिक्त पद जो मृत्यु और सेवानिवृत्ति के कारण चयन प्रक्रिया के दौरान खाली हो गए थे) को अमान्य कर दिया गया था।

41. राखी रे में निर्णय जो तीन की पीठ द्वारा लिया गया है

सामान्य श्रेणी से संबंधित असफल उम्मीदवारों ने हालांकि जोर देकर कहा कि अतिरिक्त रिक्तियां जो विचाराधीनता के दौरान आई थीं चयन प्रक्रिया को भी उसी चयन सूची से भरा जाना चाहिए।

जी. एच. कोर्ट ऑफ केराला बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]अनुच्छेद की संवैधानिक आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हुए संदर्भ

डी अनुच्छेद 16, डॉ. न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान, तीन न्यायाधीशों की ओर से बोलते हुए

एच, ने देखाः

" 7. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि रिक्तियों को नहीं किया जा सकता है विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अलावा भरा गया

से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के रूप में अधिसूचित रिक्तियां एक इनकार और वंचितता है

अनुच्छेद 16 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक अधिकार संविधान का ", उन व्यक्तियों का जिन्होंने अधिग्रहित किया

के अनुसार विचाराधीन पद के लिए पात्रता

अधिसूचना की तारीख के बाद के वैधानिक नियम

रिक्तियां। अधिसूचित पदों पर रिक्तियों को भरना

रिक्तियां न तो अनुमत हैं और न ही वांछनीय हैं, क्योंकि

स्थिति, इस तरह के एक नियम से विचलित किया जा सकता है और इस तरह के एक नीतिगत निर्णय लेने के बाद ही विचलन की अनुमति है।

कुछ तर्क के आधार पर ", अन्यथा अभ्यास होगा

मनमानी करें। अधिसूचित पदों पर रिक्तियों को भरना

रिक्तियां भविष्य में रिक्तियों को भरने के बराबर हैं और इस प्रकार,

कानून में इसकी अनुमति नहीं है। (भारत संघ बनाम। ईश्वर सिंह

खत्री [1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 84: 1992 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 999: (1992) 21

ए. टी. सी. 851], गुजरात राज्य डी. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एसोसिएशन। वी. राज्य

गुजरात का [1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 591: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 1159:

(1994) 28 एटीसी 78], बिहार राज्य बनाम। सचिवालय सहायक। सफल। परीक्षक संघ 1986 [(1994) 1 एस. सी. सी. 126: 1994 एससीसी (एल एंड एस)

274 (1994) 26 एटीसी 500: ए. आई. आर 1994 एस. सी. 736], प्रेम

बोर्ड [(1996) 1 एससीसी 283: 1996 एससीसी (एल एंड एस) 298: (1996) 32 एटीसी 235: ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 976]।"

(जोर दिया गया)

न्यायालय के दृष्टिकोण से: " 12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को संक्षेप में कहा जा सकता है -

प्रभाव कि किसी भी नियुक्ति की संख्या से परे किया गया

विज्ञापित रिक्तियां अधिकार क्षेत्र के बिना हैं, जो उल्लंघनकारी हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के अनुसार, इस प्रकार, एक [2021] 1 एस. सी. आर.

अवैधता, कानून में अप्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय। इस मामले में

अधिसूचित रिक्तियों को भरा गया, चयन की प्रक्रिया

समाप्त हो जाता है। प्रतीक्षा सूची आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जलाशय, अस्तित्व में आने वाली रिक्ति को भरने के लिए

अधिसूचना/विज्ञापन जारी होने के बाद। द.

अप्रचलित चयन सूची/प्रतीक्षा सूची अर्थहीन हो जाती है और

सेवा में और दबाव नहीं डाला जा सकता है। "

(जोर दिया गया)

बेदंगा तालुकदार बनाम। सैफुदाउल्ला खान ", दो अन्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की पीठ ने कहाः

" 29 ..... हमारी राय में, यह बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि आगे की आवश्यकता नहीं है दोहराया कि सार्वजनिक पद पर सभी नियुक्तियां की जानी चाहिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप। अन्य में

शब्दों में, किसी भी अनुचित के परिणामस्वरूप कोई मनमानेपन नहीं होना चाहिए

किसी भी उम्मीदवार को पक्ष दिखाया जा रहा है। इसलिए, चयन

प्रक्रिया को सख्ती से संचालित किया जाना चाहिए

निर्धारित चयन प्रक्रिया। नतीजतन, जब एक विशेष

विज्ञापन में अनुसूची का उल्लेख किया गया है, वही होना चाहिए

सावधानीपूर्वक बनाए रखा। इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती

विज्ञापन के नियम और शर्तें जब तक कि ऐसी शक्ति न हो

विशेष रूप से आरक्षित। ऐसी शक्ति में आरक्षित किया जा सकता है प्रासंगिक वैधानिक नियम। भले ही विश्राम की शक्ति प्रदान की गई हो

नियम, इसका उल्लेख अभी भी विज्ञापन में किया जाना चाहिए। में

नियमों में ऐसी शक्ति का अभाव, यह अभी भी प्रदान किया जा सकता है

विज्ञापन। हालाँकि, विश्राम की शक्ति, यदि प्रयोग की जाती है,

उचित प्रचार दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि

कि वे उम्मीदवार जो छूट के कारण पात्र हो जाते हैं,

आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर दिया जाता है। आराम करें। उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन में किसी भी शर्त का

अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिदेश के विपरीत होना।

और भारत के संविधान का 16 "।

42. प्रेम सिंह के मामले में निर्णय के बाद एक पीठ ने

अनुराग कुमार सिंह बनाम में दो विद्वान न्यायाधीश। उत्तराखंड राज्य 2 0. उस मामले में, लोक सेवा आयोग ने 38 पदों का विज्ञापन दिया

19 (2011) 12 एससीसी 85

20 (2016) 9 एस. सी. सी. 426 केरल का उच्च न्यायालय बनाम। रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती के एक वर्ष के लिए जिसमें कैलेंडर वर्ष के जुलाई के पहले दिन से शुरू होने वाले 12 महीने शामिल हैं। हालाँकि, लोक सेवा आयोग ने 74 पदों, 37 पदों के लिए चयन किया।

बाद में अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। उच्च न्यायालय ने कार्रवाई को दरकिनार करते हुए कहा कि एक विज्ञापन के अनुसार चयन केवल स्पष्ट रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों के लिए हो सकता है, लेकिन भविष्य की रिक्तियों के लिए नहीं। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि नियम केवल भर्ती वर्ष को संदर्भित करते हैं। पीठ ने कहा कि "केवल विज्ञापित रिक्तियों की संख्या को भरा जा सकता है" और यदि विज्ञापन सरकार को पदों की संख्या में बदलाव करने की स्वतंत्रता देता है तो इस शक्ति का उपयोग भविष्य में रिक्तियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बड़ी संख्या में व्यक्ति उन पदों पर चयन के लिए पात्र हो गए होंगे जिनका विज्ञापन किया गया था और नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा दी गई थी। के दृष्टिकोण से

न्यायालय, यदि अतिरिक्त पदों को नए चयन द्वारा नहीं भरा जाता है तो इस तरह के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन के अनुसार चयन केवल उन पदों तक ही सीमित होना चाहिए जिन्हें विज्ञापित किया गया था और भर्ती वर्ष की समाप्ति के बाद बनाए गए अतिरिक्त पदों को नए सिरे से विज्ञापन जारी करके भरना होगा।

43. राहुल दत्ता बनाम में एक और हालिया निर्णय। बिहार राज्य 2 1

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद से संबंधित। बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम 1955 के नियम 5 (ए)-(3) में निर्धारित किया गया है कि:

" (3) लिखित परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर, उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत की सीमा तक, निकटतम सौ तक पूरा किया जाएगा; और अंतिम उम्मीदवार के रूप में समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार भी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

नियम में प्रावधान किया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से केवल 10 प्रतिशत को ही बुलाया जाना था।

लिखित परीक्षा को निकटतम सौ तक पूरा किया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 5 ए में यह शर्त मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय के विपरीत थी। इसके अलावा, 10 प्रतिशत का निर्धारण

चार। हम पहले भी देख चुके हैं कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने भर्ती के लिए अपना विज्ञापन जारी करते समय रिक्तियों की 'संभावित' संख्या के रूप में 37 निर्दिष्ट किया गया था। अर्थ जिसका श्रेय दिया जाना चाहिए

'संभावित' अभिव्यक्ति पर जल्द ही विचार किया जाएगा। इस स्तर पर हमें उन निर्णयों के कुछ मुख्य पहलुओं को दोहराना चाहिए जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। प्रेम सिंह में विज्ञापन जो था

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियरों के 62 रिक्त पदों को भरने के लिए जारी किया गया था, जबकि 138 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी। इस पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने कहा कि बोर्ड स्पष्ट और प्रत्याशित रिक्तियों के अलावा यात्रा करने के लिए खुला नहीं है। दूसरे शब्दों में, चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी करते समय स्पष्ट और प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखा जा सकता है,

राखी में राय ने इस स्थिति को शामिल किया कि क्या उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की 20 रिक्तियों का विज्ञापन दिया था, जिनमें से 13 सामान्य श्रेणी में थे। सब भर गए। इस अदालत ने मलिक मजहर सुल्तान (3) के आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से उन लोगों के तर्क को खारिज कर दिया, जिनकी योग्यता सूची में स्थिति 13 चयनित उम्मीदवारों से कम थी कि वे चयन प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान हुई रिक्तियों के आधार पर चयन के हकदार थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिन रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था, उनसे अधिक रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता है, सिवाय एक दुर्लभ और असाधारण स्थिति के। गैरहाजिर

असाधारण स्थिति में अधिसूचित रिक्तियों के अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की कवायद मनमाना होगी। अनुराग कुमार सिंह के मामले में निर्णय में उत्तराखंड राज्य द्वारा लोक सेवा आयोग से 38 सहायक अभियोजन उच्च न्यायालय केराला बनाम के चयन के लिए एक अनुरोध शामिल था।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिकारीगण। विज्ञापन के बावजूद जो 38 पदों को भरने के लिए था,

अतिरिक्त 37 पदों को भरने की मांग की गई थी जो बाद में बनाए गए थे। इसे उल्लंघन के रूप में अस्वीकार्य माना गया था

अनुच्छेद 14 और 16 की गारंटी। राहुल दत्ता मामले में दो न्यायाधीशों के फैसले में कहा गया है कि लिखित परीक्षा के क्षेत्र को 10 तक सीमित कर दिया गया है।

त्याग या मृत्यु। इसलिए, नियुक्ति के लिए दी गई संख्या में पदों को अधिसूचित करने में, सार्वजनिक प्राधिकरण वैध रूप से अधिसूचना की तारीख को मौजूद रिक्तियों की संख्या और रिक्तियों को ध्यान में रख सकता है जिन्हें सेवा की आवश्यकताओं में उत्पन्न होने के लिए उचित रूप से स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि पदोन्नति, त्यागपत्र या मृत्यु जैसी परिस्थितियों के कारण रिक्त होने वाले पदों की सटीक संख्या का सटीक निर्धारण करना कठिन हो सकता है, प्राधिकरण इन आधारों पर रिक्तियों की अपेक्षित संख्या का उचित मूल्यांकन कर सकता है। हालांकि, भविष्य की रिक्तियां वैचारिक रूप से एक अलग वर्ग या श्रेणी में आती हैं। बाद के भर्ती वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को पिछले चयन वर्ष की प्रत्याशित रिक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। भर्ती वर्ष के दायरे से बाहर उत्पन्न होने वाली रिक्तियां प्रत्याशित रिक्तियों के दायरे में नहीं आएंगी। इसके लिए केवल रिक्तियां हैं, वास्तविक और प्रत्याशित जो चयन या भर्ती वर्ष के दौरान आता है जिसे चयन प्रक्रिया शुरू होने पर अधिसूचित किया जा सकता है। ये संवैधानिक सिद्धांत हैं जिनके अधीन वैधानिक आदेश हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. तथ्यात्मक विश्लेषण और निष्कर्ष

46. वर्तमान मामले में, जिस आवश्यक पहलू पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वह नियम 7 (1) के संदर्भ में "संभावित" अभिव्यक्ति का अर्थ है। वर्तमान मामले का सार इस बात पर निर्भर करेगा कि वैधानिक नियमों की व्याख्या कैसे की जाती है। अपील पर निर्णय लेने में वास्तव में यही केंद्रीय कार्य है। नियमों की व्याख्या करने की प्रक्रिया का आंतरिक अर्थ वह है जिसे "रिक्तियों की संभावित संख्या" अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना है। नियम 7 (1) में अपीलार्थी से पहले "रिक्तियों की संभावित संख्या" को अधिसूचित करने और उसके बाद लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा आयोजित करने की अपेक्षा की गई है। चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उपयुक्त माने जाने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है।

मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति। नियम 7 के उप-नियम (2) में कहा गया है कि "अधिसूचित संभावित रिक्तियों" की संख्या के दोगुने से अधिक की सूची राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजी जानी चाहिए। जैसा कि यह 2006 में अपने संशोधन के बाद था, उप-नियम (2) के दूसरे वाक्य ने सूची के लिए वैधता की अवधि प्रदान की जिसे राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह तीन साल या नई स्वीकृत सूची तैयार होने तक, जो भी पहले हो, होना था। 19 जनवरी 2019 को नियमों में संशोधन द्वारा, उप-नियम (1) के अंतिम वाक्य को प्रतिस्थापित किया गया है और उप-नियम (2) को पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया गया है। उप-नियम (1) में इसके संशोधन से पहले प्रतिस्पर्धा आयोजित करने के तौर-तरीकों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। परीक्षाएँ। संशोधन के बाद, नियम 7 (1) में कहा गया है कि चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर दो-चरणीय प्रक्रिया है। पहले चरण में प्रारंभिक जांच परीक्षा होती है। में

प्रारंभिक परीक्षा, 1 का अनुपातः 10 "सफल उम्मीदवारों के लिए अधिसूचित रिक्तियों को बनाए रखा जाना है"। इसका उद्देश्य उन उम्मीदवारों का एक व्यापक और प्रतिस्पर्धी क्षेत्र सुनिश्चित करना है जिन्हें मुख्य परीक्षा के दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में एक लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा होती है; पूर्व में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर 100 अंकों के साथ चार पेपर होते हैं। वाइवा वॉस के लिए उम्मीदवारों की संख्या आम तौर पर तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

" अधिसूचित रिक्तियां "। वाइवा वॉयस में कट ऑफ सामान्य उम्मीदवारों और ओ. बी. सी. उम्मीदवारों (40 प्रतिशत) और एस. सी./एस. टी. उम्मीदवारों (35 प्रतिशत) के लिए प्रदान की जाती है। इसके बाद प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार की जाती है।

मुख्य लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में उम्मीदवार। योग्यता सूची और चयन सूची तैयार करने में, केरल अधीनस्थ सेवा नियम 1958 के भाग II के नियम 14 से 17 का पालन करना होगा। 47.

2019 में इसके संशोधन के बाद, नियम 7 (1) जैसा कि यह है, "रिक्तियों की संभावित संख्या" की अधिसूचना के पहले उदाहरण में बोलता है।

भरने की संभावना है "। नियम 7 (1) केरला बनाम उच्च न्यायालय में "अधिसूचित रिक्तियों" को भी संदर्भित करता है।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दो स्थान, पहला उन रिक्तियों के बीच अनुपात बनाए रखने के संदर्भ में जो अधिसूचित हैं और सफल उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरा अधिसूचित रिक्तियों और मौखिक मतदान के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या के बीच के अनुपात को संदर्भित करता है। अब नियम 7 का उप-नियम (2), जिसे संशोधन के परिणामस्वरूप पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया गया है, वह कार्यकाल प्रदान करता है जिस पर योग्यता सूची को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल द्वारा किया जाना वैध होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं, इसके संशोधन से पहले, नियम 7 के उप-नियम (2) में राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची के लिए तीन साल की अवधि के लिए या नई अनुमोदित सूची तैयार होने तक के लिए प्रावधान किया गया था।

जो भी पहले तैयार हो। इस कार्यकाल को अब नियम 7 (2) के प्रतिस्थापन द्वारा लाए गए संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची के लिए संशोधित कार्यकाल इंगित करता है कि सूची "सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली अधिसूचित रिक्तियों और रिक्तियों" को भरने या एक नई सूची लागू होने तक मान्य होगी, जो भी पहले हो। इस प्रकार, हम पाते हैं कि नियम 7 के उप-नियम (1) में दो स्थानों पर उपयोग की गई 'अधिसूचित रिक्तियां' अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित नियम 7 (2) में भी मौजूद है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नियम 7 (1) है जो प्रारंभिक अधिसूचना प्रदान करता है जिसके द्वारा रिक्तियों की संभावित संख्या को अधिसूचित किया जाता है। 'अधिसूचित रिक्तियां' भी 1 का अनुपात निर्धारित करती हैं: 10 प्रारंभिक परीक्षा में और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या। नियम 7 के उप-नियम (2) का उप-नियम (1) के तहत रिक्तियों की अधिसूचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह उस अवधि के लिए प्रावधान करता है जिस पर राज्यपाल द्वारा अनुमोदित सूची वैध रहती है।

48. केरल नियम 1991 मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में फैसले से पहले था। 19 को लागू हुआ संशोधन जनवरी 2019 स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के फैसले के बाद है। वैधानिक व्याख्या के रूप में प्रयास निर्देशों में सामंजस्य स्थापित करने का होना चाहिए।

जो इस न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में जारी किए गए थे जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। संविधान और वैधानिक नियम। निस्संदेह, इस न्यायालय ने उस निर्णय में ध्यान दिया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी न्यायिक सेवा के लिए चयन को नियंत्रित करने वाले नियम लागू थे। समय-सीमा बनाए रखने और वार्षिक चयन में पालन किए जाने वाले तौर-तरीकों के संबंध में निर्देश जारी करते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगा या

राज्यों में उच्च न्यायालयों की भूमिका। राखी रे और हिरंद्र कुमार में बाद के फैसलों में, इस अदालत ने उन उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों को विशेष रूप से नकार दिया है जो नियमों [2021] 1 एस. सी. आर. के संदर्भ में अर्हता प्राप्त नहीं थे।

केवल मलिक मजहर सुल्तान (3) में टिप्पणियों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए न्यायिक सेवा के लिए शासी चयन। राखी रे ने एक ऐसी स्थिति को शामिल किया जहां दिल्ली में जिला न्यायाधीश की अधिसूचित रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति का दावा किया। उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक बार रिक्तियों को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद, कोई भी उम्मीदवार विज्ञापित रिक्तियों की सीमा से अधिक नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है। हिरंद्र कुमार इस न्यायालय का एक निर्णय था जिसमें उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों ने इस आधार पर राज्य न्यायिक सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा से छूट का दावा किया था कि भर्ती के लिए अंतिम परीक्षा की तारीख के बाद, वे आयु वर्जित हो गए थे। इस प्रयास को इस न्यायालय के निर्णय से फिर से नकार दिया गया, जिसने उम्मीदवारों को राज्य न्यायिक सेवा के नियमों और चयन प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता के लिए निर्धारित किया। ये दोनों निर्णय इंगित करेंगे कि एक उम्मीदवार जो राज्य (या केंद्र शासित प्रदेश) में प्रचलित न्यायिक सेवा नियमों के संदर्भ में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, वह नियमों के उल्लंघन पर आधारित अनिवार्यता की मांग नहीं कर सकता है। राखी रे और हिरंद्र कुमार में यह टिप्पणी कि मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय राज्य न्यायिक सेवा नियमों को ओवरराइड नहीं करता है, इसलिए इसका उचित अर्थ लगाया जाना चाहिए। मलिक मजहर सुल्तान (3) मामले में निर्णय में इस न्यायालय का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इस मामले को जल्द से जल्द भरा जाए।

राज्य न्यायिक सेवाओं में न्यायिक रिक्तियां। इसी परिप्रेक्षय में न्यायालय ने अनुपालन के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की। साथ ही

समय के साथ, यह स्पष्ट है कि निर्णय ने अन्य आवश्यक पहलुओं जैसे कि पात्रता, परीक्षा आयोजित करने के लिए तौर-तरीके और राज्य न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियां करने में आरक्षण के आवेदन के लिए प्रावधान नहीं किया था। इसलिए, न्यायिक सेवाओं में चयन और नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय के दायरे में नहीं आता है, जिसके लिए किसी को पीछे हटना पड़ता है। विचाराधीन राज्य न्यायिक सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों का अर्थ निकालना। लेकिन मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय से उभरने वाली एक विशिष्ट विशेषता पर समान रूप से जोर दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय में, किसी भी अनिश्चित शब्दों में, यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य न्यायिक सेवाओं के लिए चयन की प्रक्रिया वार्षिक आधार पर होनी चाहिए। जैसा कि अपीलार्थी द्वारा आई. ए. पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से संकेत मिलता है, वार्षिक चयन की आवश्यकता सामान्य रूप से अपवाद नहीं है। न्यायालय ने हालांकि किसी दी गई स्थिति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को समय-सारिणी के अनुपालन से छूट देने या केरल बनाम उच्च न्यायालय के समय बढ़ाने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखी।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जहाँ विशिष्ट स्थानीय स्थितियों के लिए ऐसी छूट या विस्तार की आवश्यकता होती है। मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भर्ती प्रक्रिया हर साल शुरू की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना और अंत में

उम्मीदवारों की नियुक्ति और उनकी सेवा में शामिल होना। एक बार चयन की प्रक्रिया वार्षिक होने के बाद, संभावित या प्रत्याशित रिक्तियों की अधिसूचना चयन वर्ष के लिए होनी चाहिए। 'संभावित' अभिव्यक्ति का अर्थ है जो प्रत्याशित, अपेक्षित और संभावित है। इस प्रकार यह अभिव्यक्ति मौजूदा रिक्तियों और उन रिक्तियों को समझती है जो सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु या इस्तीफे के कारण प्रत्याशित हैं और जिनमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान अद्भुत घटनाओं को शामिल करने के लिए कुछ रिक्तियों को जोड़ा जा सकता है। राज्य न्यायिक सेवा द्वारा नियमों का अर्थ निकालने में, विशेष रूप से संभावित रिक्तियों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में, नियमों को अंतर्निहित उद्देश्य, इरादे और उद्देश्य के साथ सुसंगत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

मलिक मजहर सुल्तान में अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए निर्देश

(3) . यह अभ्यास किसी अन्य कारण से आवश्यक हो जाता है। वर्तमान मामले में, नियम 7 (1) "भरे जाने की संभावना वाली रिक्तियों की संभावित संख्या को अधिसूचित करने" को संदर्भित करता है। हालाँकि, नियम 7 (1) स्पष्ट रूप से यह इंगित नहीं करता है कि इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। उस वाक्यांश के दायरे को मलिक मजहर सुल्तान (3) में जो कल्पना की गई थी, उसके आधार पर सामग्री और अर्थ प्राप्त होना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय से संकेत मिलता है कि हर साल 15 जनवरी तक रिक्तियों की संख्या अपीलार्थी द्वारा अधिसूचित की जानी है। रिक्तियों की गणना करने का तरीका भी निर्धारित किया गया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में रिक्तियों की गणना शामिल करके की जानी है।

(ए) ® मौजूदा रिक्तियां;

भविष्य में रिक्तियां जो एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हो सकती हैं

(ख)

सेवानिवृत्ति; और

(ग) भविष्य में रिक्तियां जो पदोन्नति, मृत्यु या मृत्यु के कारण हो सकती हैं।

अन्यथा।

कि भविष्य में उच्च न्यायालय/लोक सेवा आयोग "रिक्तियों की मौजूदा संख्या और अपेक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करेंगे। अगले एक साल में कुछ उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में भी शामिल किया जाएगा।

रिक्तियों की मौजूदा संख्या एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है जो विशेष उच्च न्यायालय को पता है। अपेक्षित रिक्तियां वे हैं जो उत्पन्न होती हैं। पदोन्नति, मृत्यु या सेवा से त्यागपत्र जैसे कारकों के कारण आने वाले वर्ष में सेवा की सामान्य आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में। ये आवश्यकताएँ किसी सेवा के लिए सामान्य हैं लेकिन इन रिक्तियों का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। मलिक मजहर सुल्तान (3) श्रेणी (बी) में 4 जनवरी 2007 के मूल आदेश में "भविष्य की रिक्तियां जो एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हो सकती हैं" को "सेवानिवृत्ति के कारण" अभिव्यक्ति द्वारा योग्य ठहराया गया था। सेवानिवृत्ति को एक वस्तुनिष्ठ कारक के रूप में जाना जाता है क्योंकि जिस तारीख को न्यायिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करेगा, वह पहले से ज्ञात है। श्रेणी (ग) जिसमें भविष्य में निर्दिष्ट रिक्तियां शामिल हैं जो पदोन्नति के कारण उत्पन्न हो सकती हैं,

मृत्यु या अन्यथा, सटीक संख्या कुछ हद तक भविष्य की एक अविश्वसनीय घटना के दायरे में है। संशोधन के परिणामस्वरूप जो

24 मार्च 2009 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा लाया गया, मौजूदा रिक्तियों की पहली श्रेणी को बनाए रखा गया है। दूसरा।

श्रेणी में "अगले एक वर्ष के लिए" प्रत्याशित रिक्तियां शामिल हैं। इस श्रेणी में उन रिक्तियों को शामिल किया जाएगा जिनके उत्पन्न होने की संभावना थी।

सेवानिवृत्ति के साथ-साथ सेवा की आवश्यकताओं जैसे कि पदोन्नति, त्यागपत्र या सेवा के भीतर उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण सामान्य पाठ्यक्रम में प्रत्याशित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, अंतिम श्रेणी में यह सिद्धांत शामिल है कि "कुछ उम्मीदवार भी प्रतीक्षा सूची में शामिल "। प्रतीक्षा सूची में कुछ उम्मीदवारों को शामिल करना उस स्थिति में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है जब सेवा की अनिवार्यताओं के कारण वर्ष के दौरान अतिरिक्त रिक्तियां होती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से, मलिक मजहर सुल्तान (3) में निर्णय द्वारा विचार की गई पूरी प्रक्रिया एक वार्षिक प्रक्रिया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन में जिन रिक्तियों को अधिसूचित किया जाना है, वे उस भर्ती वर्ष से संबंधित हैं जिसके लिए चयन किया जाता है। मलिक मजहर सुल्तान (3) में भविष्य की रिक्तियों को शामिल नहीं किया गया है, जो उस भर्ती वर्ष से परे हैं जिसके लिए चयन किया जाना है।

49. अब केरल नियम 1991 के संशोधित नियम 7 (1) के प्रावधानों को अर्थ और सामग्री देते हुए, मलिक मजहर सुल्तान (3) में अनुच्छेद 142 के निर्देशों के आधार पर "रिक्तियों की संभावित संख्या को अधिसूचित करना" अभिव्यक्ति के दायरे को सुसंगत बनाना उचित होगा। इससे नियम 7 (1) के प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उप-नियम 1 यह परिभाषित नहीं करता है कि संभावित रिक्तियों का क्या अर्थ है। इसके अलावा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, नियम 7 (2) केरल बनाम उच्च न्यायालय के कार्यकाल से संबंधित है।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रिक्तियां नियम 7 (1) के दायरे में आती हैं। इसलिए, निर्धारित करने में रिक्तियों की संभावित संख्या को भरे जाने की संभावना है, विशेष उच्च न्यायालय को ध्यान में रखना होगा:

रिक्तियों की वर्तमान संख्या;

((i)

((ख)

के कारण उत्पन्न होने वाले वर्ष के दौरान अपेक्षित रिक्तियां सेवानिवृत्ति और सेवा की अन्य आवश्यकताएँ जिनमें शामिल हैं

पदोन्नति, मृत्यु और त्यागपत्र; और

(iii)

कुछ उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाना है।

नियम 7 (1) में रिक्तियों की संभावित संख्या का दायरा इस मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वास्तव में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह बिल्कुल था

अपीलार्थी ने क्या किया था।

2020 (राज्यपाल के अनुमोदन की तारीख) और 6 मई 2021 (अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति) को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। 2019 के लिए चयन का एक हिस्सा बनाएं। व्याख्या की इस धारा को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

51. सबसे पहले, व्याख्या की इस पंक्ति में नियुक्ति प्राधिकरण को उन रिक्तियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो उत्पन्न हुई हैं भर्ती वर्ष 2019 के लिए चयन के अनुसरण में नियुक्तियां करने में बाद का भर्ती वर्ष 2020। यह पहली बात है

सिद्धांत, अस्वीकार्य है। नियम 7 (1) के संदर्भ में संभावित रिक्तियों का निर्धारण एक निर्धारण है जो उस भर्ती वर्ष के दौरान अनुमानित रिक्तियों पर आधारित है, इस मामले में 2019। इस अभ्यास में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अधिदेश के अनुरूप, चयन के बाद के वर्ष की भविष्य की रिक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। न ही नियम 7 (1) संभावित रिक्तियों की गणना के भीतर भविष्य के वर्ष की रिक्तियों को लाता है।

52. दूसरा, उत्तरदाताओं की ओर से सुझाई गई व्याख्या को अपनाने से गंभीर विसंगतियां पैदा होंगी। जैसे हम।

देखा है, अपीलार्थी द्वारा [2021] 1 एस. सी. आर. के महीने में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

2020 की भर्ती के लिए जून 2020। स्वीकार करने का परिणाम

उत्तरदाताओं का तर्क यह होगा कि जिन पदों को होना चाहिए

नियमों के प्रावधानों की व्याख्या करना जैसा वे हैं। यदि उत्तरदाता अपनी प्रस्तुति में सही थे, तो इसके लिए अपीलार्थी को अधिसूचित रिक्तियों के दायरे से उत्तरोत्तर हटाने की आवश्यकता होगी। बाद के भर्ती वर्ष के लिए, नियम 7 (2) की अनुमानित व्याख्या के आधार पर पिछले वर्ष के लिए आवंटित रिक्तियां। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होगा और बाद के वर्षों के लिए भर्ती में अनिश्चितता लाएगा। यह संभावित रिक्तियों की संख्या को कम करके और उन्हें पिछले भर्ती चक्र में जोड़कर 2020 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता के मामले में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

53. तीसरी विसंगति जो व्याख्या से उत्पन्न होती है, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा सुझाया गया है और जिसे स्वीकार किया गया है

उच्च न्यायालय, अपने निर्णय के दौरान स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था। यदि नियम 7 (2) को नियम 7 (1) के तहत रिक्तियों की संभावित संख्या के निर्धारण के साथ जोड़कर पढ़े बिना ओवरराइडिंग महत्व दिया जाना था, तो मुद्दा यह है कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदन की तारीख के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को कब तक ध्यान में रखा जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं, जैसा कि वास्तव में उनमें से कुछ ने इस न्यायालय के समक्ष लिखित प्रस्तुतियों में संकेत दिया कि राज्यपाल की मंजूरी की तारीख पर मौजूद रिक्तियों की संख्या नियुक्ति करने का आधार बननी चाहिए। द हाई

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों में इन तर्कों को खारिज कर दिया:

" 9. तुरंत हमें ध्यान देना होगा कि हम मंजूरी की तारीख तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर सीधी नियुक्ति के लिए बीच में नहीं जा सकते हैं। हम या तो राहत को अस्वीकार कर देते हैं या इसके तहत अनुमेय रूप से अनुदान देते हैं।

नियम। अनुमोदन की तिथि केवल नियमों के अनुसार सूची की वैधता अवधि निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है। हम अनुमोदन की तारीख को नियमों में निर्धारित तिथि के अलावा कोई अन्य महत्व नहीं दे सकते।

जिसे अगर अनुमति दी जाए तो वह सचमुच आधा बेक किया हुआ केक होगा, न ही हाई कोर्ट ऑफ केराला बनाम।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपभोग के लिए अच्छा है और न ही बाहर फेंकने के लिए पूरी तरह से बेकार।

हम इस तरह के चिपचिपे आधार पर खुद को आराम नहीं देंगे

अनिश्चितता "।

उच्च न्यायालय यह समझने में सही था कि वह केवल इसलिए आधे रास्ते के उपाय को स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि यह कुछ उम्मीदवारों के हित के अनुकूल था जिन्हें नियुक्त किया जाएगा यदि अनुमोदन की तारीख तक उत्पन्न रिक्तियों को ध्यान में रखा गया था। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करके पूरी हद तक काम किया:

" 38 ..... हम अपीलार्थी को अनुमोदित योग्यता सूची से एक चुनिंदा सूची तैयार करने का निर्देश देते हैं, जिसमें वे रिक्तियां शामिल हैं जो आज तक उत्पन्न होती हैं और जो 06.05.2021 या किसी अन्य तिथि तक प्रत्याशित हैं जिस पर अपीलार्थी अगली सूची प्रकाशित होने की उम्मीद करता है।

अपने निष्कर्ष में, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा: " हम रिट अपीलों को खारिज करते हैं, उच्च न्यायालय को भाग II के नियम 14 से 17 के अनुसार एक चयन सूची अग्रेषित करने का निर्देश देते हैं।

के. एस. एंड एस. एस. आर., 1958 अनुमोदित योग्यता सूची से।

उच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट परिणाम यह होगा कि 2020 के दौरान जो रिक्तियां पैदा हुई हैं, उन्हें 2019 के लिए आवंटित किया जाएगा। यह तभी किया जा सकता है जब 2020 के लिए रिक्तियों के 2019 के दौरान उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया हो, जो कि मामला नहीं है।

54. उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में चौथी कठिनाई संवैधानिक सिद्धांतों पर टिकी हुई है। निस्संदेह, उच्च न्यायालय के समक्ष नियम 7 (2) की वैधता पर कोई सवाल नहीं था। प्रत्यर्थियों के वकील ने तर्क दिया कि यह अपीलार्थी के प्रांत में अपने स्वयं के नियमों, विशेष रूप से नियम 7 (2) की वैधता के बारे में संदेह पैदा करने के लिए नहीं है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले ने यह सुझाव या तर्क नहीं दिया कि नियम 7 (2) को अमान्य माना जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति यह है कि "संभावित" अभिव्यक्ति एक जोड़/कटौती को दर्शाती है जिसे मृत्यु, त्यागपत्र और पदोन्नति जैसी सेवा की अभेद्यताओं के कारण किया जाना है। अपीलार्थी का निवेदन है कि संविधान के संदर्भ के बिना नियम 7 (2) की शाब्दिक व्याख्या

अधिसूचित रिक्तियों से परे एक चुनिंदा सूची का संचालन नहीं करने की आवश्यकता, नियम को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है और इस तरह की व्याख्या से बचा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनका समर्पण [2021] 1 एस. सी. आर. था।

कि प्रतिवादियों द्वारा सुझाए गए तरीके से किसी संवैधानिक निर्णय पर काबू नहीं पाया जा सकता है और मलिक मजहर सुल्तान (3) के निर्देशों के आलोक में न्यायिक सेवा नियमों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सहारा उच्च न्यायालय को लेना चाहिए था। हम प्रस्तुतियों की इस पंक्ति से सहमत हैं, क्योंकि यह इस न्यायालय की मिसाल पर आधारित है। यह सेवा न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब रिक्तियों को सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो नियुक्तियों की संख्या उन रिक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं जिन्हें अधिसूचित किया जाता है। इस प्रस्तुति का जवाब, जो दिया गया है

उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि नियम 7 (1) के तहत रिक्तियों की संभावित संख्या को अधिसूचित करने की आवश्यकता है और चूंकि एक सटीक संख्या को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए 2019 में अधिसूचित 37 संभावित रिक्तियों से अधिक होने पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में कठिनाई बस यह है: यह "रिक्तियों की संभावित संख्या" अभिव्यक्ति को एक ऐसा अर्थ बताता है जो सेवा न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के साथ असंगत है, अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के जनादेश का पालन करने की आवश्यकता है। और अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ के विपरीत है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी 22 'संभावित' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है:

" संभावित ': अस्तित्व में होने, सच होने या होने की संभावना "

' जैसा कि हमने देखा है, रिक्तियों की संभावित संख्या मौजूदा रिक्तियों और होने वाली अनुमानित रिक्तियों की गणना पर आधारित है।

वर्ष के दौरान। यह प्रतीक्षा सूची में कुछ उम्मीदवारों को शामिल करने की संभावना के लिए भी जिम्मेदार है। हालांकि, 'संभावित' अभिव्यक्ति की व्याख्या उन रिक्तियों के अस्पष्ट मूल्यांकन के रूप में नहीं की जा सकती है जो कारण से स्थापित नहीं हैं और जिन्हें वैधानिक रूप से बदले बिना बदला जा सकता है।

निर्धारित कारण। नियम 7 (1) में रिक्तियों की संभावित संख्या की अवधारणा को आने वाले वर्ष में आने वाली भविष्य की रिक्तियों पर लगाम लगाने की अनुमति देने से एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन होगा। भर्ती के बाद के वर्ष के दौरान भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने वाले उम्मीदवारों को एक वास्तविक संवैधानिक शिकायत होगी कि रिक्तियां जो बाद के वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई हैं। 22 11 संस्करण (थॉमसन रॉयटर्स वेस्ट, 2019)। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के चौथे संस्करण, संशोधन 6 (1971) में 'संभावित' की परिभाषा थी: “ सत्य का प्रकट होना; संभाव्यता का चरित्र होना; तर्क या अनुभव में स्थापित प्रतीत होना; खिलाफ की तुलना में अधिक सबूत होना; सबूत द्वारा समर्थित जो मन को विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन संदेह के लिए कुछ जगह छोड़ देता है; जाहिरा तौर पर सच लेकिन संभवतः गलत। केरल का उच्च न्यायालय बनाम।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वे पात्र हो गए हैं जिन्हें पहले के भर्ती वर्ष के लिए आवंटित किया गया है। यदि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाता है, तो यह प्रक्रिया की निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसके बाद इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि 2020 के दौरान जो रिक्तियां पैदा हुई हैं, उन्हें वर्ष 2019 के लिए चयन सूची में उम्मीदवारों के लिए आवंटित किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया

कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 16 का गंभीर उल्लंघन होगी और

इससे बचना चाहिए। दोहराने के लिए, अपीलार्थी का निवेदन जो हम स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, वह यह नहीं है कि नियम 7 (2) अमान्य है, बल्कि यह है कि नियम 7 (1) और (2) की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो मलिक मजहर सुल्तान (3) के अनुच्छेद 142 के निर्देशों के अनुरूप है ताकि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में संवैधानिक न्यायशास्त्र के शासी सिद्धांतों के अनुरूप नियम बनाए जा सकें।

55. पाँचवाँ, इस स्तर पर, हमें एक और गंभीर विषय पर भी विज्ञापन देना चाहिए।

पहलू जो उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होता है। उच्च न्यायालय ने अपने विश्लेषण के दौरान देखा कि प्रत्यर्थियों के प्रस्तुत करने से अपीलार्थी को इसके बारे में पता चलेगा

प्रशासनिक पक्ष, योग्यता सूची के अनुमोदन के बाद वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए भोजन प्रशिक्षण लेना। राज्यपाल की मंजूरी 7 मई 2020 को प्राप्त हुई थी। यदि 7 मई 2020 और 6 मई 2021 के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को 2019 की प्रक्रिया के लिए नियुक्तियां करने में गिना जाता है, तो जिन उम्मीदवारों को बाद की रिक्तियों के लिए नियुक्त किया जाता है, वे भर्ती के प्रारंभिक बैच को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के बाद टुकड़ों में और छिटपुट तरीके से आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर, जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, वे अपने प्रशिक्षण में शामिल हो गए और वास्तव में अपने प्रशिक्षण के बीच में हैं। उच्च न्यायालय ने इस उलझन का समाधान किए बिना इस निर्णय के पैराग्राफ 29 में एक सुझाव दिया, जो नीचे दिया गया है:

" 29. उच्च न्यायालय के रूप में एक समस्या उत्पन्न हो सकती है

योग्यता सूची के अनुमोदन के बाद एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए नियुक्त किए गए रंगरूटों को प्रशिक्षण देना होता है। इसे व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण के लिए चुनकर हल किया जा सकता है।

नियुक्तियाँ जून 2020 में रुए 7 (2) के अनुसार की जाती हैं। यह नियमित रूप से केवल उन रिक्तियों के लिए किया जा सकता था जो वास्तव में उस तारीख तक उत्पन्न हुई थीं। उच्च न्यायालय को तब रिक्तियों को उत्पन्न करने के लिए सक्षम वर्ष में नई भर्तियों की नियुक्ति की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण भी देना होगा जो [2021] 1 एस. सी. आर.

प्रशिक्षण प्रक्रिया को खतरे में डालें। हम केवल यह देखते हैं कि उच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक पक्ष में

सरकार एक ऐसी प्रक्रिया तैयार कर सकती है जिसके माध्यम से सफल उम्मीदवारों के लिए भी प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है, योग्यता सूची में जगह मिल सकती है, जिन्हें प्रत्याशित रिक्तियों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जो रिक्तियां निश्चित रूप से उनके प्रशिक्षण पूरा होने तक उत्पन्न होंगी। इसे विशेष रूप से प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि सूची की वैधता योग्यता सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक होती है और योग्यता सूची के अनुमोदन के बाद ही प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। प्रशिक्षण से गुजरने के लिए प्रत्याशित रिक्तियों के लिए भर्तियों का चयन भी रिक्तियों के उत्पन्न होने और नई सूची के अनुसार किया जा सकता है जो रिक्तियों के लिए नियमित नियुक्ति होने तक वजीफे पर प्रशिक्षण जारी रखने के साथ लागू होती है। हम इन टिप्पणियों को प्रकृति में नहीं रखना चाहते हैं।

एक दिशा में और केवल हमारे विचार हैं, जो जोर से व्यक्त किए जाते हैं।

उच्च न्यायालय ने जिस समाधान का संकेत दिया है, जैसा कि उसने स्पष्ट किया है, वह किसी निर्देश की प्रकृति में नहीं है, बल्कि "केवल हमारे विचारों को व्यक्त करने की अनुमति है"। उच्च न्यायालय द्वारा सुझाया गया समाधान यह है कि उम्मीदवार हो सकते हैं

भविष्य में होने वाली रिक्तियों की प्रत्याशा में, जो रिक्तियां उत्पन्न नहीं हुई हैं, उनका भी चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब नियुक्तियां जून 2020 में की गई थीं, तो उन्हें नियमित रूप से केवल उन रिक्तियों के लिए किया जा सकता था जो वास्तव में उस तारीख तक उत्पन्न हुई थीं। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उसके प्रशासनिक पक्ष में, रिक्तियों के लिए नई भर्तियों की नियुक्ति जो इसमें उत्पन्न होगी आगामी वर्ष प्रशिक्षण प्रक्रिया को खतरे में डाल देगा। हालाँकि, इसने सुझाव दिया कि सरकार के परामर्श से एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की जा सकती है जिसके द्वारा उम्मीदवारों के लिए उन रिक्तियों के खिलाफ प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है जो अभी भी उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो भविष्य में उत्पन्न होंगी। उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि इसके खिलाफ नियुक्त प्रशिक्षु

भविष्य में संभावित रिक्तियों को वजीफा दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा जो समाधान सुझाया गया है वह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में नियुक्त होने पर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और प्रशिक्षुओं की दो श्रेणियां नहीं हो सकती हैं, जिनमें से एक को वजीफा मिलता है क्योंकि जिन रिक्तियों के लिए उनका चयन किया गया है, वे अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हैं। इसके अलावा, एक गंभीर असंतोष होगा यदि भविष्य में रिक्तियों की उम्मीद में प्रशिक्षण पर भेजे गए सभी उम्मीदवारों को नहीं भेजा जा सकता है।

सेवा में समायोजित। हमने उपरोक्त पहलू पर जोर दिया है, क्योंकि

सरल कारण यह है कि उच्च न्यायालय उन गंभीर समस्याओं से अवगत था जिनके परिणामस्वरूप प्रशासन में परिणाम होगा यदि इसके निर्णय केरल बनाम उच्च न्यायालय के लिए थे।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मैदान को पकड़ो। उच्च न्यायालय द्वारा यह सुझाव कि प्रशासन को प्रशिक्षण पर भेजना चाहिए, जिन उम्मीदवारों के लिए सेवा में कोई रिक्तियां नहीं हैं, कानून के विपरीत है। यदि प्रशिक्षण पर भेजे गए कुछ उम्मीदवारों को रिक्तियों की कमी के कारण भविष्य की तारीख में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यह गंभीर असंतोष पैदा करेगा और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के लिए अनुचित होगा। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ेगा, जिसके लिए उसे उन व्यक्तियों को वजीफे का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें अभी तक न्यायिक सेवा में भर्ती नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें समायोजित करने के लिए वर्तमान में कोई रिक्तियां नहीं हैं।

56. प्रस्तुतियों के दौरान, विरेंद्र एस. मामले में इस न्यायालय के फैसले पर प्रतिवादियों की ओर से भरोसा रखा गया है।

हुड्डा बनाम। हरियाणा राज्य "। यह एक ऐसा मामला था जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा की कार्यकारी शाखा में भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में 12 पदों को शामिल किया गया था, जिनमें से 7 सामान्य श्रेणी में थे और 5 आरक्षित थे। एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसके बाद परिणाम प्रकाशित किए गए। अपीलार्थी उन उम्मीदवारों की सूची में थे जिनके परिणाम घोषित किए गए थे लेकिन सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्त होने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च स्थान पर नहीं थे। उन्हें वैकल्पिक पद दिए गए थे। अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था

अदालत और जब मामला इस अदालत में पहुँचा, तो उन्हें स्वतंत्रता दी गई

1957 और 1972 के दो परिपत्रों के आधार पर नियुक्तियां प्राप्त करने के लिए नई रिट याचिकाएं दायर करना, जिसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

नामों की सिफारिश से छह महीने के भीतर उत्पन्न होने वाली सभी अधिसूचित अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध चयन के लिए। उच्च न्यायालय ने दावे को फिर से खारिज कर दिया लेकिन इस न्यायालय ने अंततः यह विचार रखा कि जब राज्य द्वारा पद को भरने के तरीके के बारे में एक नीति घोषित की जाती है और नीति नियमों के संदर्भ में घोषित की जाती है, तो निर्देश नियमों के विपरीत नहीं होते हैं, राज्य को उनका पालन करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण रूप से, जिन प्रशासनिक निर्देशों को संदर्भित किया गया था, उन्हें बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून द्वारा निरस्त कर दिया गया था। विरेन्द्र सिंह हुड्डा बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा कानून की वैधता को बरकरार रखा गया था। हरियाणा राज्य 2 4, हालांकि इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में पहले से की गई नियुक्तियों को अबाधित छोड़ दिया गया था। विरेंद्र सिंह हुड्डा के मामले में पहले फैसले को मामले के तथ्यों के संदर्भ में पढ़ना होगा। उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय के पास विचार करने का अवसर नहीं था

23 (1999) 3 एससीसी 696 24 (2004) 12 एससीसी 588 [2021] 1 एस. सी. आर.

पूर्व निर्णय जिसमें यह सिद्धांत भी शामिल है कि अधिसूचित रिक्तियों से अधिक नियुक्तियां अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं की जा सकती हैं। इस सिद्धांत को प्रेम सिंह (ऊपर) में दोहराया गया था जो विरेंद्र सिंह के फैसले से पहले था। जो भी हो, हमारा विचार है कि उपरोक्त तथ्यों में विरेंद्र सिंह हुड्डा का निर्णय उत्तरदाताओं की सहायता नहीं करेगा और उस मामले में विशिष्ट परिस्थितियों तक ही सीमित रहना होगा।

57. प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनुलग्नक ए-1 से ए-3 के आधार पर 18 पर दायर बयान के साथ आग्रह किया।

अगस्त 2020, और विवादित फैसले के परिशिष्ट में संदर्भित किया गया है कि 31 दिसंबर 2019 तक वास्तव में 37 से अधिक रिक्तियां मौजूद थीं और इसलिए चयन सूची को बड़ी संख्या में रिक्तियों के लिए संचालित किया जा सकता है। हम इस प्रस्तुति की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं। उत्तरदाताओं ने 37 संभावित रिक्तियों के आधार पर चयन प्रक्रिया में भाग लिया। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुतियों के साथ संलग्न अनुलग्नक ए-2 से संकेत मिलता है कि 31 दिसंबर 2019 तक रिक्तियों की कुल संख्या 43 दिखाई गई थी, जिसमें 37 नियमित रिक्तियां और 8 एनसीए रिक्तियां शामिल थीं। 37 नियमित रिक्तियों में से केवल 32 को वर्ष 2019 की चयन सूची में शामिल किया जा सका क्योंकि 5 रिक्तियों के लिए उम्मीदवार आरक्षित बारी के खिलाफ उपलब्ध नहीं थे। उन पाँच रिक्तियों को 2020 के लिए एन. सी. ए. रिक्तियों के रूप में माना गया है और बाद के वर्ष के लिए रिक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। मलिक मजहर सुल्तान (3) में दिए गए विभाजन के अनुसार, वर्ष 2019 के लिए 37 नियमित रिक्तियों और 8 एनसीए रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था। यह कहा गया है कि चयन वर्ष 2019 के लिए अधिसूचित 45 रिक्तियों में 4 रिक्तियां शामिल हैं - 10 प्रतिशत की वृद्धि जो हर वर्ष की जानी थी। हालाँकि, चार रिक्तियों में से केवल दो ही वास्तव में उत्पन्न हुई थीं और इसलिए यह संख्या 43 थी। इस आधार पर यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर बयान में दिए गए आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं है।

अदालत और इस अदालत के समक्ष अतिरिक्त हलफनामे पर दायर बयान।

58. अंत में, उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि वर्ष 2020 की भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है।

कोविड-19 महामारी की शुरुआत। जून 2020 के महीने में एक भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि चयन की वास्तविक प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा जिसके बाद उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर भेजना होगा। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि भर्ती वर्ष 2020 के लिए उम्मीदवार वास्तव में केरल बनाम उच्च न्यायालय शुरू करने की स्थिति में होंगे।

रेशमा ए. और अन्य ईटीसी। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केवल 2023 की शुरुआत में न्यायिक कर्तव्य। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि उच्च न्यायालय का निर्णय गलत है, हमारा विचार है कि विशुद्ध रूप से इस आधार पर उत्तरदाताओं को राहत देना अस्वीकार्य होगा। उत्तरदाताओं को 2019 के चयन के लिए नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है। वे इस आधार पर किसी भी अधिकार या इक्विटी का दावा नहीं कर सकते हैं कि अगले वर्ष के लिए चयन में देरी हो सकती है। 2020 के लिए रिक्तियां उन उम्मीदवारों को आवंटित की जानी चाहिए जो 2020 के लिए भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में विधिवत चुने गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने

2019 के चयन में निचले स्थान पर रहे और नियुक्तियां प्राप्त करने में असमर्थ रहे, वे बाद के वर्ष की रिक्तियों को अपने लिए उपयुक्त नहीं बना सकते। इस तरह के दावे की अनुमति देना एक गंभीर कानूनी और संवैधानिक होगा।

त्रुटि।

59. जिन कारणों का हमने संकेत दिया है, उनका मानना है कि उच्च न्यायालय के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है। हम तदनुसार अपीलों को स्वीकार करते हैं और 26 अगस्त 2020 को केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

60. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।